निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का अनुबंध–II

निगमित सुशासन पर रिपोर्ट

निगमित सुशासन पर रिपोर्ट का अर्थ, किसी संगठन की व्यावसायिक गतिविधियों में सर्वोत्तम प्रबंधन परिपाटियां लागू किए जाने पर, कानूनों का पूर्ण रूप से पालन करने की स्थिति में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही है। सुशासित संगठन प्रभावी प्रबंधन के लिए नैतिक मानकों का अनुपालन करते हैं और सभी पणधारियों के लिए दीर्घावधि मूल्य का सृजन करते हैं। सुशासन के साथ स्थिरता और सामाजिक जिम्मेदारी भी साथ–साथ बनी रहती है। प्रबंधन के सभी क्षेत्रों में पालन की जाने वाली इस सत्यनिष्ठा के फलस्वरूप ही सुशासित संगठन समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं और व्यवसाय में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं।

आरईसी, जो विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में एक नवरत्न कंपनी है, वर्ष 1969 से अपने विविध पणधारियों की सेवा में कार्यरत है। अपनी स्थापना के 52 वर्षों में, आरईसी अपने सभी पणधारियों, चाहे वे निवेशक हों, शेयरधारक हों, बांडधारक हों, आपूर्तिकर्ता हों, ग्राहक हों, समुदाय हो, नीति निर्माता हों, कर्मचारी हों और भारत सरकार हो, के लिए अधिकतम मूल्य प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। कंपनी अपने दिन–प्रतिदिन के प्रचालनों में निगमित सुशासन में सर्वोत्तम परिपाटियों को अपनाती है और उनका पालन करती है। आरईसी, कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सेबी एलओडीआर विनियम"), सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सुशासन पर दिशानिर्देश, 2010 ("कॉर्पोरेट सुशासन पर डीपीई के दिशानिर्देश") और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ("सचिव–विषयक मानक") द्वारा जारी सचिव–विषयक मानकों के तहत यथानिर्धारित कॉर्पोरेट सुशासन संबंधी सभी अनिवार्य अपेक्षाओं, जो इसके दायरे में आती हैं, को पूरा करता है। आरईसी अधिकांश गैर–अनिवार्य अपेक्षाओं को भी पूरा करता है।

आरईसी को नियमित रूप से निगमित सुशासन के क्षेत्र में विभिन्न पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आरईसी ने महारत्न और नवरत्न श्रेणी में उपविजेता के रूप में इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) से **निगमित सुशासन के लिए 10वां पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार** जीता।

पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार की शुरूआत आईसीसी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उत्कृष्टता के अभिनिर्धारण करने के लिए की गई थी; और यह पुरस्कार एक सख्त और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से एक स्वतंत्र निर्णायक मंडल द्वारा विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है।

निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में एक रिपोर्ट नीचे दी गई है, जिसके साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों का कॉर्पोरेट सुशासन पर एक प्रमाणपत्र भी दिया गया है।

आरईसी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 में निगमित सुशासन के लिए 10वां पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार जीता

1. निगमित सुशासन पर कंपनी की दृष्टि

आरईसी में निगमित सुशासन विद्यमान विनियामक ढांचे के भीतर पणधारियों के लिए सतत मूल्य सृजन के लिए नैतिक और जिम्मेदार रीति में व्यवसाय का प्रबंधन कर रहा है। कंपनी, पूरे विश्व में निगमित सुशासन के क्षेत्र में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम परिपाटियों को अपनाने में विश्वास करती है। कंपनी में उचित, पारदर्शी और नैतिक अभिशासन परिपाटियों की एक अतिप्रभावी परम्परा मौजूद है। स्वतंत्रता, जवाबदेही, जिम्मेदारी, पारदर्शिता, विश्वसनीयता, सततता और समुचित एवं समयबद्ध प्रकटीकरण आदि के मूलभूत सिद्धांत कंपनी की कॉर्पोरेट सुशासन की जिसके साथ पूर्ण रूप से लागू करने के माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। परिवर्तनशील व्यावसायिक परिवेश की चुनौतियों का सामना करने के लिए कंपनी की प्रणालियों, नीतियों और फ्रेमवर्क की नियमित रूप से समीक्षा और उन्नयन किया जाता है।

आरईसी का कॉर्पोरेट सुशासन फ्रेमवर्क निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आधारित है:

- कानून, नियमों और विनियमों का पूर्ण रूप से अनुपालन;
- अपने सभी पणधारियों के हितों के संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा के लिए उपयुक्त प्रणाली और परिपाटियां; तथा
- सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं के पारदर्शी और समयबद्ध प्रकटीकरण के माध्यम से विभिन्न पणधारियों के बीच विश्वास और भरोसे के परिवेश का सृजन करना।

उपरोक्त सिद्धांत निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करते हैं:

- शेयरधारकों के मूल्य का संरक्षण और वृद्धि करने में;
- अन्य सभी पणधारियों जैसे ग्राहकों, कर्मचारियों और बड़े पैमाने पर समाज के हितों की रक्षा करने में;
- संचार में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने और सभी संबंधितों को पूर्ण, सटीक और स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने में;
- प्रदर्शन और ग्राहक सेवा के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने और सभी स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करने में; और
- अन्यों के लिए अनुकरणीय उच्चतम स्तर का कॉर्पोरेट नेतृत्व प्रदान करने में।

2. निदेशक मण्डल

आरईसी के निदेशक मण्डल में कंपनी के व्यवसाय को कुशल और प्रभावी तरीके से प्रबंधित करने के लिए अपेक्षित योग्यता, अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हैं। सभी निदेशक व्यवसाय और प्रचालनों के लिए कार्यनीतिक दृष्टिकोण और निर्देश प्रदान करते हैं। बोर्ड नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान करके कॉर्पोरेट उद्देश्यों की पूर्ति की निगरानी करता है।

आरईसी के बोर्ड के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। कंपनी में कार्यात्मक निदेशक और गैर–कार्यपालक निदेशक (अर्थात् विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा नामित निदेशक) भी हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, कंपनी में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक भी थे। तथापि, वित्तीय वर्ष 2019–20 में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित सभी भूतपूर्व स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल के पूरा होने या पद की समाप्ति के बाद, वर्तमान में बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, महिला स्वतंत्र निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, आरईसी के बोर्ड की संरचना, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर विनियम और कॉर्पोरेट सुशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी। बोर्ड की कुछ समितियों, जिनमें स्वतंत्र निदेशक की मौजूदगी की आवश्यकता होती है, की संरचना, भी लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अर्थ के अधीन एक सरकारी कंपनी होने के नाते, आरईसी के बोर्ड में निदेशक नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, जो प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से इनका उपयोग कर रहे हैं। आरईसी कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर विनियम के लागू सांविधिक उपबंधों और कॉर्पोरेट सुशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में सक्षम बनने के लिए, अपने बोर्ड में कम से कम एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या को नियुक्त करने के लिए नियमित रूप से विद्युत मंत्रालय को पत्र लिखता रहा है। मामले का अनुसरण किया जा रहा है और महिला स्वतंत्र निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों को शीघ्र ही नियुक्त किए जाने की संभावना है।

(क) बोर्ड की संरचना

कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के अनुसार, निदेशकों की संख्या तीन से कम नहीं होगी और पंद्रह से अधिक नहीं होगी। दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, बोर्ड की संरचना के साथ–साथ वर्ष 2020–21 के दौरान इसमें हुए परिवर्तनों का विवरण और अन्य कंपनियों में निदेशकों द्वारा धारित डायरेक्टरशिप और समिति के पदों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	कंपनी में पद	भारतीय पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में धारित अन्य डायरेक्टरशिप की संख्या	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में धारित डायरेक्टरशिप, डायरेक्टरशिप की श्रेणी	अन्य कंपनियों में धारित समिति पदों की संख्या	
						अध्यक्ष	सदस्य
पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक)							
1.	श्री संजय मल्होत्रा	00992744	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक *(9 नवंबर, 2020 से नियुक्त)*	1	–	–	–
2	श्री संजीव कुमार गुप्ता	03464342	निदेशक (तकनीकी) *(1 जून, 2020 से 8 नवंबर, 2020 के दौरान आरईसी के सीएमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला)*	1	–	–	–
3	श्री अजय चौधरी	06629871	निदेशक (वित्त) *(1 जून, 2020 से नियुक्त)*	1	–	–	–
अंशकालिक निदेशक (गैर–कार्यपालक निदेशक)							
4	श्री तन्मय कुमार	02574098	सरकार द्वारा नामित निदेशक *(5 नवंबर, 2020 से नियुक्त)*	3	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड *(नामित निदेशक)* एसजेवीएन लिमिटेड *(नामित निदेशक)* एनएचपीसी लिमिटेड *(नामित निदेशक)*	शून्य	1
5	श्री प्रवीण कुमार सिंह	03548218	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) द्वारा नामित निदेशक	7	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड *(पूर्णकालिक निदेशक)*	शून्य	2

निदेशक मण्डल की संरचना में परिवर्तन

क) विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 नवंबर, 2020 के आदेश संख्या 46/2/2019–आरई [247264] के माध्यम से श्री संजय मल्होत्रा, आईएएस को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्री संजय मल्होत्रा ने दिनांक 9 नवंबर, 2020 को कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला।

ख) श्री संजय मल्होत्रा के कार्यभार ग्रहण करने से पहले, श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) विद्यत मंत्रालय के दिनांक 12 जून, 2020, 10 सितम्बर, 2020 और 24 नवंबर, 2020 के आदेशों के अनुसरण में दिनांक 1 जून, 2020 से 8 नवंबर, 2020 की अवधि के दौरान कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे।

ग) विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 21 अप्रैल, 2020 के आदेश संख्या 46/9/2011–आरई [228164] के माध्यम से श्री अजय चौधरी को दिनांक 1 जून, 2020 से निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया था। उक्त तारीख से पहले श्री अजय चौधरी कंपनी में कार्यपालक निदेशक (वित्त) के रूप में कार्य कर रहे थे।

घ) विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 नवंबर, 2020 के आदेश संख्या 46/8/2015–आरई [227696] के माध्यम से श्री तन्मय कुमार, आईएएस, संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय को तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक आरईसी के निदेशक मण्डल में सरकार के नामित निदेशक के रूप में श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, संयुक्त सचिव [डीआईएन 03426753], जिन्हें पूर्व में आरईसी के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया था, के स्थान पर नियुक्त किया गया था।

ङ) वर्ष 2020–21 के दौरान, श्री अजीत कुमार अग्रवाल (डीआईएन 02231613), निदेशक (वित्त), जो दिनांक 31 मई, 2020 तक आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाले हुए थे, दिनांक 31 मई, 2020 को कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत हो गए।

च) सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 26 के अनुसार, समिति की सदस्यता की संख्या की गणना के लिए, भारतीय पब्लिक लिमिटेड कंपनियों (आरईसी के अलावा) में लेखा परीक्षा समिति और पणधारी संबंध समिति में अध्यक्षता/सदस्यता को ध्यान में रखा गया है। कोई भी निदेशक ऐसी 10 (दस) से अधिक समिति में सदस्य या 5 (पाँच) से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है।

(ख) बोर्ड और इसकी समितियों से संबंधित अन्य प्रावधान

(i) वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का विवरण

कंपनी, बोर्ड और इसकी समितियों द्वारा सामूहिक निर्णय लेने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया का अनुसरण करती है। बैठक की तारीखों को आमतौर पर सभी निदेशकों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाता है, ताकि बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकों में सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। बैठकों के लिए सभी कार्यसूचियां (एजेंडा) और व्याख्यात्मक टिप्पणियां, संबंधित निदेशक की पसंद के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक पद्धति के माध्यम से, बैठकों से पर्याप्त समय पूर्व परिचालित किए जाते हैं। मूल्य संवेदनशील सूचना, लागू सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए, बैठक से पहले अलग से परिचालित की जाती है। कभी–कभी, प्रस्तावों को परिचालन द्वारा पारित किया जाता है, जिनकी पुष्टि बोर्ड की अगली बैठक में की जाती है। किसी भी तत्काल व्यावसायिक आवश्यकता को संबोधित करने के मामले में, नियत प्रक्रिया का पालन करके कभी–कभी अल्पावधि नोटिस पर बैठकें आमंत्रित की जाती हैं। इन मामलों में न्यूनतम नोटिस और एजेंडा अवधि का अनुपालन करने के लिए यथासंभव पर्याप्त प्रयास किए जाते हैं।

बोर्ड/समिति की बैठकों के लिए कार्यसूची (एजेंडा) में किसी मामले को शामिल करने का निर्णय कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा लिया जाता है। सभी एजेंडा नोटों में मसौदा संकल्प (संकल्पों) सहित संगत जानकारी शामिल होती है; और इन्हें आंतरिक प्रक्रिया के अनुसार अग्रिम रूप से अनुमोदित किया जाता है। बैठकों के दौरान, आवश्यकता पड़ने पर, वरिष्ठ प्रबंधन से संबंधित अधिकारियों को भी प्रस्तुति देने या अतिरिक्त इनपुट प्रदान करने के लिए बुलाया जाता है। बोर्ड और समितियों की बैठकें आम तौर पर कार्यालय समय के दौरान नई दिल्ली स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं। बोर्ड और शेयरधारकों की बैठकों के सबंध में, कंपनी, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) के सचिव–विषयक मानकों का भी अनुपालन करती है।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, निम्नलिखित तारीखों को आरईसी के निदेशक मण्डल की कुल 10 (दस) बैठकें आयोजित की गईः

पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही
21 मई, 2020	7 अगस्त, 2020	6 नवंबर, 2020	13 जनवरी, 2021
17 जून, 2020	15 सितंबर, 2020	23 दिसंबर, 2020	4 फरवरी, 2021
–	–	–	10 मार्च, 2021
–	–	–	17 मार्च, 2021

बोर्ड की दो बैठकों के बीच न्यूनतम और अधिकतम अंतराल क्रमशः 7 (सात) दिन और 52 (बावन) दिन था।

(ii) निदेशक मण्डल के समक्ष रखी गई सूचना

बोर्ड, कंपनी में मौजूद सभी सूचनाओं तक पूरी पहुंच रखता है। बोर्ड को दी गई जानकारी की मात्रा और गुणवत्ता सेबी एलओडीआर विनियम की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत निर्दिष्ट न्यूनतम अपेक्षाओं से काफी अधिक रहती है। बोर्ड को उपलब्ध कराई गई जानकारी में अन्य जानकारी के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैः

1. वार्षिक प्रचालन योजनाएँ और बजट तथा कोई भी अद्यतन सूचना।
2. पूंजीगत बजट और कोई अद्यतन सूचना।
3. धन जुटाने से संबंधित प्रस्ताव।
4. वित्तीय सहायता की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव।
5. तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम और बोर्ड की रिपोर्ट।
6. सभी संबंधित पक्षकारों से संव्यवहार।
7. लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त।
8. सहायक कंपनियों के बोर्ड की बैठकों का कार्यवृत्त।
9. मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव की नियुक्ति या पदच्युति सहित बोर्ड स्तर के ठीक नीचे के स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और वेतन के संबंध में जानकारी।
10. महत्वपूर्ण कारण बताओ, मांग, अभियोजन नोटिस और शास्ति नोटिस, यदि कोई हो।
11. घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, कोई भी महत्वपूर्ण अपशिष्ट या प्रदूषण की समस्या, यदि कोई हो।
12. कंपनी के प्रति और उसके द्वारा वित्तीय दायित्वों में कोई महत्वपूर्ण चूक या कंपनी द्वारा बेचे गए माल के लिए अधिक मात्रा में न किया गया भुगतान, यदि कोई हो ।
13. ऐसा मुद्दा, जिसमें सारवान् प्रकृति के संभावित सार्वजनिक या उत्पाद दायित्व दावे शामिल हैं, जिनमें ऐसा कोई भी निर्णय या आदेश शामिल हो, जो कंपनी के संचालन की निंदा का कारण बन सकता है या किसी अन्य उद्यम के बारे में प्रतिकूल दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकता है, जिसका कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव, यदि कोई हो, पड़ सकता है।
14. किसी भी संयुक्त उद्यम या सहयोग समझौते का विवरण।
15. ऐसे लेन–देन जिसमें सद्भावना, ब्रांड इक्विटी या बौद्धिक संपदा, यदि कोई हो, के लिए पर्याप्त भुगतान शामिल है।
16. महत्वपूर्ण श्रम संबंधी समस्याएं, यदि कोई हों और उनके प्रस्तावित समाधान। मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों के मोर्चे पर कोई महत्वपूर्ण विकास जैसे वेतन करार पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन आदि, यदि कोई हो।
17. निवेश, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों का गठन, कार्यनीतिक गठबंधन आदि।
18. निवेश, सहायक कंपनियों, परिसंपत्तियों, जो महत्वपूर्ण प्रकृति की हैं और व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं हैं, की बिक्री।
19. विदेशी मुद्रा एक्सपोजर और प्रतिकूल विनिमय दर संचलन, यदि महत्वपूर्ण हों, के जोखिम को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदमों का तिमाही विवरण ।
20. किसी भी विनियामक, सांविधिक या सूचीबद्धता अपेक्षाओं का गैर–अनुपालन और शेयरधारकों की सेवा जैसे लाभांश का गैर–भुगतान, शेयर के अंतरण में देरी आदि, यदि लागू हों।
21. ऋण–स्वीकृति के संबंध में तिमाही रिपोर्ट।
22. अल्पावधि अधिशेष निधियों के संबंध में तिमाही रिपोर्ट।
23. उधारियों और ऋण–मोचन के संबंध में तिमाही रिपोर्ट।
24. विभिन्न लागू कानूनों के अनुपालन के संबंध में तिमाही रिपोर्ट।
25. शेयर पूंजी लेखा परीक्षा के समाधान, कॉर्पोरेट सुशासन रिपोर्ट और निवेशकों की शिकायतों की स्थिति के संबंध में तिमाही रिपोर्ट।
26. दीर्घावधि निवेशों के संबंध में छमाही रिपोर्ट।
27. कंपनी की सूचना–प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीति के अनुपालन के संबंध में छमाही रिपोर्ट।
28. उचित व्यवहार संहिता के अनुपालन के संबंध में छमाही रिपोर्ट।
29. कंपनी की शक्तियों के प्रत्यायोजन के अंतर्गत आवधिक रिपोर्ट।
30. बोर्ड के पूर्व के विचार–विमर्श/निर्णयों/सुझावों पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट।
31. सूचना या अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए आवश्यक कोई अन्य जानकारी।

(iii) वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों और वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति (व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) का विवरण

क्र. सं.	निदेशक का नाम	बैठक की तिथि और उसमें उपस्थिति										कुल बैठकों की संख्या			25–सितंबर–20 को वीसी/ओएवीएम द्वारा आयोजित 51वीं एजीएम में उपस्थिति
		21–मई–20	17–जून–20	7–अगस्त–20	15–सितंबर–20	6–नवंबर–20	23–दिसंबर–20	13–जनवरी–21	4–फरवरी–21	10–मार्च–21	17–मार्च–21	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	भाग लेने वाले निदेशकों की संख्या	उपस्थिति का प्रतिशत	
1	**श्री संजय मल्होत्रा** अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक *(9 नवंबर, 2020 से)*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	👤	👤	👤	👤	5	5	100	लागू नहीं
2	**श्री संजीव कुमार गुप्ता** निदेशक (तकनीकी) *(1 जून, 2020 से 8 नवंबर, 2020 के दौरान सीएमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला)*	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	10	10	100	🎥
3	**श्री अजय चौधरी** निदेशक (वित्त) *(1 जून, 2020 से)*	लागू नहीं	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	9	9	100	🎥
4	**श्री तन्मय कुमार** सरकार द्वारा नामित निदेशक *(5 नवंबर, 2020 से)*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	👤	👤	👤	👤	👤	6	6	100	लागू नहीं
5	**श्री प्रवीण कुमार सिंह** पीएफसी के नामित निदेशक	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	10	10	100	🎥
6	**श्री अजीत कुमार अग्रवाल** *(31 मई, 2020 को सीएमडी और निदेशक (वित्त) के रूप में सेवानिवृत्त)*	👤	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1	1	100	लागू नहीं
7	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण** *(5 नवंबर, 2020 तक सरकार द्वारा नामित निदेशक)*	👤	👤	👤	🎥	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	4	4	100	🎥

👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित 🎥 वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित

(iv) आगामी 52वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 और अनुच्छेद 91 के उपबंधों और कंपनी की संस्था के अंतर्नियमों (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के अनुसरण में, श्री प्रवीण कुमार सिंह, पीएफसी के नामित निदेशक, कंपनी की आगामी 52वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे। पात्र होने के नाते, उन्होंने मूल कंपनी से उनकी अधिवर्षिता की तारीख होने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले, स्वयं को पुनर्नियुक्त किए जाने की पेशकश की है। श्री प्रवीण कुमार की विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता और अन्य प्रासंगिक जानकारी सहित उनका संक्षिप्त विवरण एजीएम के नोटिस में प्रदर्शित किया जा रहा है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

(v) निदेशकों के बीच परस्पर संबंध

कंपनी के निदेशकों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है।

(vi) गैर–कार्यपालक निदेशक द्वारा धारित शेयर और परिवर्तनीय लिखत

श्री प्रवीण कुमार सिंह, जो कंपनी के ₹10/– प्रत्येक के 40 इक्विटी शेयरों के धारक हैं, को छोड़कर, अन्य कोई गैर–कार्यपालक निदेशक कंपनी में किसी भी शेयर या परिवर्तनीय लिखत का धारक नहीं है।

(vii) स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक

चूंकि, कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे, अतः वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की कोई अलग बैठक नहीं हो सकी।

(viii) बोर्ड के प्रमुख कौशल, विशेषज्ञता, दक्षता और गुण

आरईसी के बोर्ड में सुयोग्य निदेशक, जो कंपनी के संचालन में अपेक्षित कौशल, योग्यता और विशेषज्ञता लाते हैं और बोर्ड एवं इसकी समितियों में प्रभावी योगदान करते हैं, शामिल हैं। बोर्ड के सदस्य यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि आरईसी, कॉर्पोरेट सुशासन के उच्चतम मानकों का अनुपालन करता है। आरईसी के व्यवसाय की बारीकियों और समग्र रूप से विद्युत क्षेत्र के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने इसे प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख कौशल, विशेषज्ञता, दक्षताओं और गुणों की पहचान की है:

निदेशकों की योग्यता के मानदंड	
वित्तीय प्रबंधन	वित्तीय गतिविधियों की योजना, आयोजन, निर्देशन और नियंत्रण, जिसमें निधि जुटाना और उनका उपयोग, वित्तीय लेखांकन और प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली, वित्तीय योजना, चलनिधि और निधि प्रबंधन, कार्यशील पूंजी प्रबंधन, कोषागार और विदेशी मुद्रा प्रबंधन, कर योजना और वित्तीय संस्थानों के साथ संपर्क आदि शामिल हैं।
विद्युत क्षेत्र में प्रक्षेत्र विशेषज्ञता	प्रौद्योगिकी में प्रचुर पृष्ठभूमि और विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र तथा भारत और विदेशों में विद्युत क्षेत्र की चुनौतियों/पहलुओं/बारीकियों के विभिन्न तत्वों में गहन अंतर्दृष्टि, तकनीकी प्रवृत्तियों का अनुमान लगाने का ज्ञान, विदारी नवाचार उत्पन्न करना और नए व्यवसाय मॉडल का विस्तार या निर्माण करना।
परियोजना मूल्यांकन	किसी परियोजना के तकनीकी मानकों, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक, पर्यावरणीय, वित्तीय और अन्य ऐसे पहलुओं की व्यवस्थित और व्यापक समीक्षा, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या यह अपने उद्देश्यों को पूरा करती है।
कॉर्पोरेट योजना और कार्यनीति	प्रबंधन गतिविधियाँ, जिनका अनुप्रयोग प्राथमिकताएँ निर्धारित करने, ऊर्जा और संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करने, प्रचालन को सुदृढ़ करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि कर्मचारी और अन्य पणधारी आशयित परिणामों/नतीजों पर सहमति बनाकर, मूल लक्ष्यों की दिशा में काम कर रहे हैं, के लिए किया जाता है; और परिवर्तनशील परिवेश के प्रति संगठन के निर्देशों का मूल्यांकन और समायोजन करना।
जोखिम प्रबंधन	परिचालन जोखिम, ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, ब्याज दर जोखिम, चलनिधि जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम और अन्य वित्तीय जोखिमों के पूर्वानुमान और मूल्यांकन के साथ–साथ उनके प्रभाव से बचने या कम करने के लिए प्रक्रियाओं की पहचान करना। निवेश/वित्तपोषण प्रक्रिया के दौरान हो सकने वाले किसी भी संभावित खतरों की पहचान करना और उनका शमन करना।
नेतृत्व	संगठनात्मक लक्ष्यों को निर्धारित करने और प्राप्त करने तथा ऐसे लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए कार्रवाई करने सहित स्पष्ट दृष्टिकोण स्थापित करने, उस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए मार्गदर्शन, ज्ञान और तरीके प्रदान करने के लिए विस्तृत नेतृत्व अनुभव।
बोर्ड परिपाटियां और अभिशासन	किसी सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी में सेवा या केंद्र/राज्य सरकार के विभागों, बैंकों या प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में जिम्मेदार पदों पर कार्य करना। कंपनी बोर्ड को बोर्ड और प्रबंधन की जवाबदेही बनाए रखने, शेयरधारकों के हितों की रक्षा करने और उचित अभिशासन परिपाटियों का पालन करने के बारे में अंतर्दृष्टि विकसित करनी है।
व्यवसाय विकास	ऋणकर्ताओं/निवेशकों, बाजारों और अन्य सभी पणधारियों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजित करके व्यापार और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने, ब्रांड जागरूकता बनाने और कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कार्यनीति विकसित करने का अनुभव।

निम्न सारणी में, दिनांक 31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार, बोर्ड के अलग–अलग सदस्यों के विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्रों को उजागर किया गया है। तथापि, किसी सदस्य के नाम के सामने किसी चिह्न की अनुपस्थिति का यह अर्थ नहीं है कि वह सदस्य संगत कौशल या विशेषज्ञता नहीं रखता हैः

निदेशक का नाम	बोर्ड की प्रमुख योग्यताएं							
	विशेषज्ञता का क्षेत्र							
	वित्तीय प्रबंधन	विद्युत क्षेत्र की प्रक्षेत्र विशेषज्ञता	परियोजना मूल्यांकन	कॉर्पोरेट योजना और कार्यनीति	जोखिम प्रबंधन	नेतृत्व	बोर्ड परिपाटियां और अभिशासन	व्यवसाय विकास
श्री संजय मल्होत्रा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री संजीव कुमार गुप्ता	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री अजय चौधरी	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
श्री तन्मय कुमार	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री प्रवीण कुमार सिंह	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

3. निदेशक मण्डल की समितियां

निदेशक मण्डल या तो पूर्ण बोर्ड के रूप में या व्यवसाय प्रचालनों और कॉर्पोरेट सुशासन के विशिष्ट क्षेत्रों की निगरानी के लिए गठित विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है। प्रत्येक समिति, बोर्ड, जो इनकी संरचना, कार्यक्षेत्र और शक्तियां निर्धारित करता है, द्वारा अनुमोदित विचारार्थ विषयों के अनुसार कार्य करती है। समिति की नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं; और उन्हें प्रत्यायोजित प्राधिकारों के भीतर सुविज्ञ निर्णय लेने के लिए उन्हें सौंपे गए क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार, बोर्ड में निम्नलिखित समितियां थीं:–

1. लेखापरीक्षा समिति
2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति
3. पणधारी संबंध समिति
4. जोखिम प्रबंधन समिति
5. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
6. ऋण समिति*
7. कार्यकारी समिति*
8. मियादी ऋणों/अल्पावधि ऋणों के लिए ऋण दरों की समीक्षा के लिए उप–समिति*
9. अधिशेष निधियों के निवेश/उपयोग के लिए समिति
10. परिसंपत्ति देयता प्रबंधन कमेटी
11. आईटी कार्यनीति समिति

* *समिति को तदोपरांत दिनांक 28 मई, 2021 से भंग कर दिया गया है*

कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के अंतर्नियम 105 और लागू सांविधिक अपेक्षाओं के संदर्भ में, सभी समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त को सूचना और टिप्पणियों के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक समिति के विचारार्थ विषय, इनकी बैठकों आदि के ब्यौरे अनुवर्ती पैराग्राफों में दर्शाए गए हैं।

3.1 लेखापरीक्षा समिति

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 18 और कॉर्पोरेट सुशासन के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसरण में एक लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है। लेखापरीक्षा समिति अपने विचारार्थ विषयों के अनुसार भूमिका का निर्वहन करती है और लागू सांविधिक प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट जानकारी की समीक्षा करती है।

लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

क) कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014, समय–समय पर यथासंशोधित, के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार, अपेक्षाओं का अनुपालन;

ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, समय–समय पर यथासंशोधित, में यथापरिकल्पित लेखा परीक्षा समिति संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन;

ग) डीपीई द्वारा अधिसूचित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सुशासन पर दिशानिर्देशों, 2010, समय–समय पर यथासंशोधित, का अनुपालन; तथा

घ) लेखापरीक्षा समिति से संबंधित किन्हीं अन्य लागू प्रावधानों, समय–समय पर संशोधित, का अनुपालन।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की 5 (पांच) बैठकें आयोजित की गईं। दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति की संरचना तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित की गई इसकी बैठकों में उपस्थिति के ब्यौरे निम्नानुसार थे:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	समिति में पद	बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति					बैठकों की कुल संख्या		
			17–जून–20	7–अगस्त–20	6–नवंबर–20	23–दिसंबर–20	4–फरवरी–21	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक ने भाग लिया	उपस्थिति का प्रतिशत
1	**श्री तन्मय कुमार** सरकार द्वारा नामित निदेशक	*अध्यक्ष (6 नवंबर, 2020 से)*	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	👤	👤	3	3	100
2	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण** सरकार द्वारा नामित निदेशक	*(12 जून, 2020 से 5 नवंबर, 2020 के दौरान)*	👤	👤	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	2	2	100
3	**श्री संजीव कुमार गुप्ता** निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	👤	👤	👤	👤	👤	5	5	100
4	**श्री प्रवीण कुमार सिंह** पीएफसी के नामित निदेशक	सदस्य	👤	👤	👤	👤	👤	5	5	100

👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की कार्यसाधक संख्या (कोरम) दो सदस्यों या सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई, जो भी अधिक हो, होती है। इसके अलावा, निदेशक (वित्त), आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकार्यों के प्रमुख और कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिनिधियों को भी लेखापरीक्षा की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करती है।

दिनांक 17 जून, 2020 को आयोजित की गई बैठक, जिसे कोविड –19 महामारी के आलोक में सेबी द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2020 के अपने परिपत्र द्वारा अनुमत विस्तारित समय अंतराल के अनुसरण में पिछली बैठक से 134 दिनों के अंतराल के बाद आयोजित किया गया था, को छोड़कर, लेखा परीक्षा समिति की किन्हीं दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल एक सौ बीस दिनों से अधिक नहीं था।

लेखा परीक्षा समिति का अध्यक्ष, लेखांकन और वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञता रखता है और लेखा परीक्षा समिति के अन्य सभी सदस्य वित्तीय कार्यों का ज्ञान रखते हैं। इसके अलावा, दिनांक 25 सितंबर, 2020 पर आयोजित कंपनी की पिछली वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की प्रश्नों का उत्तर देने के लिए लेखा परीक्षा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष उपस्थित रहे।

यह उल्लेख करना उचित है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में कंपनी के महिला स्वतंत्र निदेशक सहित सभी पूर्व स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल के पूरा होने या पद छोड़ने के बाद, लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप लेखापरीक्षा समिति को पुनर्गठित करने के लिए बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक उपलब्ध नहीं थे। इसलिए, कंपनी ने गैर–कार्यपालक निदेशकों, जहां तक संभव हो, को शामिल कर अपनी लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है। आरईसी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

3.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते आरईसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों, और अन्य निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्णय, कंपनी के संस्था के अंतर्नियम (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है और प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संप्रेषित किया जाता है।

कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों और कर्मचारियों के पारिश्रमिक का निर्धारण, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी किए गए मौजूदा दिशा–निर्देशों, समय–समय पर यथासंशोधित, के अनुसार किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों सहित अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशकों को बोर्ड और इसकी समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए समय–समय पर बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित बैठक शुल्क (सिटिंग फीस) का भुगतान किया जाता है। भुगतान किए गए बैठक शुल्क की राशि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित सीमा के भीतर होती है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के नामित निदेशक को बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए देय बैठक शुल्क का भुगतान पीएफसी को किया जाता है। इसके अलावा, सरकार द्वारा नामित निदेशक भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार कंपनी से किसी भी पारिश्रमिक या बैठक शुल्क का हकदार नहीं होता है।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों, सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 19 और कॉर्पोरेट सुशासन के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसरण में एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया था। नामांकन और पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय, आरईसी पर लागू सीमा तक, निम्नानुसार है:

क. कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014, समय–समय पर यथासंशोधित, के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार अपेक्षाओं का अनुपालन;

ख. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, समय–समय पर यथासंशोधित, में यथपरिकल्पित नामांकन और पारिश्रमिक समिति संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन; और

ग. पूर्णकालिक निदेशकों, कार्यपालकों और गैर–संघीय पर्यवेक्षकों को निर्धारित सीमा के भीतर वार्षिक बोनस, परिवर्तनीय वेतन का परिमाण और ईएसओपी स्कीम, पेंशन स्कीम के लिए नीति आदि सहित डीपीई द्वारा यथाअधिसूचित और समय–समय पर यथासंशोधित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सुशासन पर दिशानिर्देशों, 2010 का अनुपालन।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों के लिए कार्यवाहक संख्या (कोरम), समिति के अध्यक्ष सहित दो सदस्य होते है। इसके अलावा, निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) और कार्यपालक निदेशक (एचआर)/कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक (एचआर) नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों में स्थायी रूप से आमंत्रित होते हैं। कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

यह उल्लेख करना उचित है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में कंपनी के महिला स्वतंत्र निदेशक सहित सभी पूर्व स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल के पूरा होने या पद छोड़ने के बाद, लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप नामांकन और पारिश्रमिक समिति को पुनर्गठित करने के लिए बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक उपलब्ध नहीं थे। आरईसी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को निदेशकों की अर्हता, सकारात्मक गुणों, स्वतंत्रता और निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन का निर्धारण करने के लिए मानदंड तैयार करने से संबंधित अपेक्षा एवं निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति तैयार करने से छूट प्रदान की थी।

इसके अलावा, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से यह निर्दिष्ट किया था कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में यथानिर्धारित, स्वतंत्र निदेशक के प्रदर्शन की समीक्षा और मूल्यांकन तंत्र संबंधी प्रावधान भी सरकारी कंपनियों के लिए लागू नहीं हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी के गैर–कार्यपालक निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अपने आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपीएस) को संदत्त पारिश्रमिक के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ में)

क्र सं.	नाम और पदनाम	वेतन और भत्ते	प्रदर्शन संबद्ध प्रोत्साहन	अनुलाभ	फॉर्म–16 में शामिल किए गए अन्य हितलाभ	छुट्टी नकदीकरण	सीपीएफ में अंशदान	पेंशन निधि में अंशदान	कुल
1	श्री संजय मल्होत्रा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक *(9 नवंबर, 2020 से)*	10,90,800	-	-	15,400	87,450	-	-	**11,93,650**
2	श्री संजीव कुमार गुप्ता निदेशक (तकनीकी) *(1 जून, 2020 से 8 नवंबर, 2020 के दौरान सीएमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला)*	46,53,819	22,09,652	9,85,670	42,939	-	4,05,443	2,85,097	**85,82,620**
3	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त) *(1 जून, 2020 से नियुक्त)*	39,96,810	14,35,450	1,72,109	45,609	10,73,509	3,22,133	2,16,112	**72,61,732**
4	श्री अजीत कुमार अग्रवाल *(31 मई, 2020 को सीएमडी और निदेशक (वित्त) के रूप में सेवानिवृत्त)*	7,15,873	16,71,215	9,48,806	-	33,77,037	66,342	58,050	**68,37,323**
5	श्री जे. एस. अमिताभ *कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव*	45,07,165	13,44,914	77,742	30,713	-	3,61,701	2,52,166	**65,74,401**

टिप्पणियाँ:

1. श्री संजय मल्होत्रा, जिन्होंने दिनांक 9 नवंबर, 2020 से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कंपनी में पदभार संभाला, का पारिश्रमिक उक्त तिथि से सूचित किया गया है।
2. श्री अजय चौधरी के संबंध में ऊपर दर्शाया गया पारिश्रमिक दिनांक 1 जून, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के लिए है। इससे पहले वह कंपनी में कार्यपालक निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यरत थे और उन्हें ₹8,86,637 का पारिश्रमिक और 1 अप्रैल, 2020 से 31 मई, 2020 तक की अवधि के लिए भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान के रूप में ₹62,690 की राशि का भुगतान किया गया था।
3. प्रदर्शन संबद्ध प्रोत्साहन का भुगतान डीपीई द्वारा इस संबंध में जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाता है।
4. फॉर्म–16 में शामिल किए गए अन्य हितलाभों में यूनिफॉर्म, मनोरंजन, बिजली, पानी और परिचर प्रभार और चिकित्सा व्यय / प्रतिपूर्ति में छूट को शामिल नहीं किया गया है।
5. वित्तीय वर्ष 2020–21 में, पेंशन अंशदान को एनपीएस खाते में जमा किया गया था। अतः, नियोक्ता के पेंशन अंशदान, फॉर्म–16 में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के तहत वेतन का भाग है।
6. कुल पारिश्रमिक में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत छूटप्राप्त भत्तों को शामिल किया गया है तथा बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, आरईसी के उपदान कोष (ग्रेच्युटी फंड) में नियोक्ता के अंशदान को शामिल नहीं किया गया है।
7. कंपनी ने कोई भी स्टॉक विकल्प प्रदान नहीं किया है। इसके अलावा, निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक, नोटिस अवधि, निष्कर्षण शुल्क आदि सहित नियुक्ति की शर्तें, यदि कोई हो, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती हैं।

गैर–कार्यपालक निदेशकों का पारिश्रमिक

गैर–कार्यपालक निदेशकों को निदेशक मण्डल की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹40,000/– और इसकी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए प्रत्येक बैठक के लिए 30,000/– के बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित सीमाओं के भीतर है।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान गैर–कार्यपालक निदेशकों के बैठक शुल्क (जीएसटी को छोड़कर) के रूप में संदत्त पारिश्रमिक के ब्यौरे निम्नानुसार थे:–

(राशि ₹ में)

क्रसं.	गैर–कार्यपालक निदेशक का नाम	बैठक शुल्क		कुल
		बोर्ड की बैठकें	समिति की बैठकें	
1	श्री तन्मय कुमार *सरकार द्वारा नामित निदेशक (5 नवंबर, 2020 से)*	–	–	–
2	श्री मृत्युंजय कुमार नारायण *सरकार द्वारा नामित निदेशक (5 नवंबर, 2020 तक)*	–	–	–
3	श्री प्रवीण कुमार सिंह *पीएफसी के नामित निदेशक*	4,00,000	5,40,000	9,40,000
	कुल	**4,00,000**	**5,40,000**	**9,40,000**

टिप्पणियाँ:

1. सरकार द्वारा नामित निदेशक भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार कंपनी से किसी भी पारिश्रमिक या बैठक शुल्क के हकदार नहीं हैं।
2. श्री प्रवीण कुमार सिंह पीएफसी में पूर्णकालिक निदेशक हैं। आरईसी के निदेशक मण्डल और इसकी समितियों के बैठक में भाग लेने के लिए, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के नामित को देय बैठक शुल्क का भुगतान पीएफसी को किया जाता है।

उपरोक्त के अलावा, बोर्ड या इसकी समितियों की बैठक में भाग लेने के संबंध में एयर टिकट, होटल आवास, वाहन किराए पर लेना, फुटकर व्यय, स्थानीय परिवहन आदि, यदि लागू हों, को छोड़कर, गैर–कार्यपालक निदेशक निदेशकों का कंपनी के साथ कोई भी महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध या संव्यवहार नहीं है।

3.3 पणधारी संबंध समिति

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों , सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 20 के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों के संदर्भ में एक पणधारी संबंध समिति का गठन किया है। पणधारी संबंध समिति विशेष रूप से शेयरधारकों, ऋणपत्रधारकों (डिबेंचरहोल्डर) आदि जैसे विभिन्न प्रतिभूति धारकों से प्राप्त अनुरोधों, शिकायतों या परिवादों जैसे लाभांश क्रेडिट/वारंट का प्राप्त न होना, ऋणपत्रों (डिबेंचर) पर ब्याज का प्राप्त न होना, कंपनी द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों के अंतरण, प्रेषण, रीमटेरियलाइजेशन, विमटेरियलाइजेशन, विखंडन और समेकन से संबंधित मामलों के निवारण की जांच करती है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, विभिन्न प्रतिभूति धारकों के अनुरोधों, शिकायतों या परिवादों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए पणधारी संबंध समिति की 4 (चार) बैठकें आयोजित की गईं। दिनांक 31 मार्च, 2021 को पणधारी संबंध समिति की संरचना और वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्र सं.	निदेशक का नाम	समिति में धारित पद	बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति				बैठकों की कुल संख्या		
			17–जून–20	7–अगस्त–20	6–नवंबर–20	4–फरवरी–21	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक ने भाग लिया	उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्री प्रवीण कुमार सिंह *पीएफसी के नामित निदेशक*	अध्यक्ष *(12 जून, 2020 से)*	👤	👤	👤	👤	4	4	100
2	श्री संजीव कुमार गुप्ता *निदेशक (तकनीकी)*	सदस्य	👤	👤	👤	👤	4	4	100
3	श्री अजय चौधरी *निदेशक (वित्त)*	सदस्य *(12 जून, 2020 से)*	👤	👤	👤	👤	4	4	100

👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

पणधारी संबंध समिति की बैठकों के लिए कार्यवाहक संख्या (कोरम), समिति के अध्यक्ष सहित दो सदस्य है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा शेयरों, ऋणपत्रों (डिबेंचर), बंधपत्रों (बांड) आदि सहित विभिन्न प्रतिभूतियों के लिए नियुक्त पंजीयक एवं अंतरण अभिकर्ता पणधारी संबंध समिति की बैठकों में स्थायी तौर पर आमंत्रित होते हैं। श्री जे. एस. अमिताभ, कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। वह सेबी एलओडीआर विनियमों के संदर्भ में कंपनी के अनुपालन अधिकारी भी हैं। 25 सितम्बर, 2020 को आयोजित कंपनी की पिछली वार्षिक आम बैठक में पणधारी संबंध समिति के अध्यक्ष मौजूद थे।

यह उल्लेख करना उचित है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में कंपनी के महिला स्वतंत्र निदेशक सहित सभी पूर्व स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल के पूरा होने या पद छोड़ने के बाद, लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप पणधारी संबंध समिति को पुनर्गठित करने के लिए बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक उपलब्ध नहीं थे। इसलिए, कंपनी ने गैर–कार्यपालक निदेशकों, जहां तक संभव हो, को शामिल करके अपनी पणधारी संबंध समिति का गठन किया है। आरईसी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद पणधारी संबंध समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों की स्थिति

शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों या परिवादों के तुरंत निवारण के लिए, कंपनी ने त्रिस्तरीय तंत्र अर्थात, संबंधित पंजीयक से सहायता सेवा, अंतःपरिसर निवेशक प्रकोष्ठ और पणधारी संबंध समिति द्वारा प्रत्यक्ष निगरानी की स्थापना की है, जिसके परिणामस्वरूप सभी शिकायतों को समयबद्ध निवारण सुनिश्चित हुआ।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) में एक वेब–आधारित शिकायत निवारण प्रणाली नामतः स्कोर्स (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली) मौजूद है, जिसके माध्यम से निवेशक अपनी समस्याओं के लिए किसी कंपनी के विरूद्ध शिकायत दर्ज कर सकते हैं। प्रत्येक शिकायत की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकती है और यदि आवश्यक हो, तो निवेशक शिकायतों के लिए अनुस्मारक भेज सकते हैं। इसके अलावा, इस प्रणाली के माध्यम से, निवेशक शिकायतों की स्थिति का पता लगाने में सक्षम हुए हैं – जैसे कि शिकायत किसके पास लंबित है, किस पर जिम्मेदारी तय की गई है और शिकायत कितने समय से लंबित है। ऐसा कोई भी निवेशक, जो स्कोर्स (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली) से परिचित नहीं है या स्कोर्स (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली) तक उसकी पहुँच नहीं है, भौतिक रूप में भी शिकायत दर्ज कर सकता है।

कंपनी सभी निवेशकों की शिकायतों, परिवादों और अनुरोधों पर निवेशकों की संतुष्टि तक तुरंत और शीघ्रता के आधार पर कार्रवाई करती है। निवेशकों की शिकायतों की स्थिति के संबंध में तिमाही रूप से अद्यतन जानकारी स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज की जाती है और बोर्ड के समक्ष भी प्रस्तुत की जाती है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 13 (3) के अनुसरण में शेयरधारकों / निवेशकों से प्राप्त शिकायतों / अनुरोधों की स्थिति निम्नानुसार थी:

विवरण	इक्विटी शेयर	सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूति	कुल
1 अप्रैल, 2020 तक की स्थिति के अनुसार लंबित	0	2	2
वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त	2,304	1,118	3,422
वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	2,304	1,120	3,424
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार निपटाई न गई शेष शिकायतें	0	0	0

3.4 जोखिम प्रबंधन समिति

संगठन के समेकित जोखिम के प्रबंधन के लिए सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 21 के प्रावधानों के अनुरूप जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। जोखिम प्रबंधन समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं;

क. समेकित जोखिम का प्रबंधन करना;

ख. विभिन्न संभावित जोखिमों की पहचान करना, चलनिधि जोखिम सहित कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले समग्र जोखिमों का मूल्यांकन करना, कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली जोखिम प्रबंधन योजना, नीतियों और प्रथाओं की समय–समय पर निगरानी और समीक्षा करना;

ग. विभिन्न जोखिमों के शमन की निगरानी करना और जोखिम प्रबंधन संबंधी अन्य सभी प्रकार्यों, जिसमें साइबर सुरक्षा भी शामिल हो, का निष्पादन करना; तथा

घ. समय–समय पर भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, निगमित कार्य मंत्रालय, और/या किन्हीं अन्य एजेंसियों द्वारा जारी किए गए लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन के लिए अपेक्षित कोई भी अन्य प्रकार्य का निष्पादन करना।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की 2 (दो) बैठकों आयोजित की गईं। दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना और वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	समिति में धारित पद	बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति		बैठकों की कुल संख्या		
			1–अक्टूबर–20	31–मार्च–21	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक ने भाग लिया	उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्री प्रवीण कुमार सिंह *पीएफसी के नामित निदेशक*	अध्यक्ष *(31 मार्च, 2021 से)*	लागू नहीं	👤	1	1	100
2	श्री संजीव कुमार गुप्ता *निदेशक (तकनीकी)*	सदस्य *(दिनांक 1 अक्टूबर, 2020 को आयोजित बैठक के लिए अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित)*	👤	👤	2	2	100
3	श्री अजय चौधरी *निदेशक (वित्त)*	सदस्य *(दिनांक 1, जून 2020)*	👤	👤	2	2	100

👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

नोट: श्री अजीत कुमार अग्रवाल दिनांक 31 मई, 2020 तक जोखिम प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रहे। हालांकि, उस कार्यकाल के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई थी।

जोखिम प्रबंधन समिति समिति की कार्यवाहक संख्या (कोरम) अध्यक्ष सहित दो सदस्य है। इसके अलावा, कार्यपालक निदेशक (वित्त–संसाधन), कार्यपालक निदेशक (निजी क्षेत्र परियोजना प्रबंधन), कार्यपालक निदेशक (राज्य प्रचालन) और मुख्य महाप्रबंधक (परिसंपत्ति देयता प्रबंधन) विभाग जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों में स्थायी तौर पर आमंत्रित होते हैं। कंपनी द्वारा, आरबीआई द्वारा यथानिर्धारित, एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की नियुक्ति की गई है, जो जोखिम प्रबंधन समिति के संयोजक के रूप में कार्य करता है।

वर्तमान में, लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन करने के लिए आरईसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या का अभाव है। आरईसी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति होने पर जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

3.5 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सततता संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मण्डल ने एक 'कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति' (सीएसआर समिति), का गठन किया है, जिसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

क) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में यथानिर्दिष्ट कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को दर्शाने वाली कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तैयार करना और बोर्ड को इसकी अनुशंसा करना;

ख) कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की समय–समय पर निगरानी करना;

ग) खंड (क) में निर्दिष्ट गतिविधियों पर व्यय की जाने वाली राशि की अनुशंसा करना;

घ) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के दायरे में आने वाली सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/प्रस्तावों की अनुशंसा/समीक्षा करना;

ङ) कंपनी द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित करना:

च) कंपनी की सीएसआर पहलों पर कार्यनीति तैयार करने के लिए निदेशक मण्डल की सहायता करना;

छ) अन्य बातों के साथ–साथ यह जिम्मेदारी विवरण, कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, सीएसआर उद्देश्यों और कंपनी की नीति के अनुरूप है, सहित नियमों में दिए गए प्रपत्र के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट की सामग्री को अनुमोदित करना;

ज) निदेशक मण्डल की जानकारी, विचार और आवश्यक निर्देशों के लिए उनके समक्ष समय–समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना; तथा

झ) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति पर अन्य अपेक्षाओं, समय–समय पर संशोधित, का अनुपालन करना।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, सीएसआर समिति की 8 (आठ) बैठकें आयोजित की गईं। दिनांक 31 मार्च, 2021 को सीएसआर समिति की संरचना और वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्र सं.	निदेशक का नाम	समिति में धारित पद	बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति								बैठकों की कुल संख्या		
			21–मई–20	7–अगस्त–20	15–सितंबर–20	6–नवंबर–20	23–दिसंबर–20	13–जनवरी–21	4–फरवरी–21	10–मार्च–21	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक ने भाग लिया	उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्री संजीव कुमार गुप्ता निदेशक (तकनीकी)	*अध्यक्ष (दिनांक 12 जून, 2020 से, उससे पहले तक सदस्य रहे)*	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	8	8	100
2	श्री अजीत कुमार अग्रवाल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त)	*(दिनांक 31 मई, 2020 तक अध्यक्ष)*	👤	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1	1	100
3	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त)	सदस्य *(12 जून, 2020 से)*	लागू नहीं	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	7	7	100
4	श्री प्रवीण कुमार सिंह पीएफसी के नामित निदेशक	सदस्य	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	8	8	100

👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

सीएसआर समिति की बैठकों के लिए कार्यवाहक संख्या (कोरम), अध्यक्ष सहित दो सदस्य है। कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

यह उल्लेख करना उचित है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में कंपनी के महिला स्वतंत्र निदेशक सहित सभी पूर्व स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल के पूरा होने या पद छोड़ने के बाद, लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति को पुनर्गठित करने

के लिए बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक उपलब्ध नहीं थे। इसलिए, कंपनी ने गैर–कार्यपालक निदेशकों, जहां तक संभव हो, को शामिल करके अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया है। आरईसी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और सतता नीति https://www.recindia.nic.in/our-csr-initiatives पर उपलब्ध है।

3.6 ऋण समिति

निदेशकों की ऋण समिति का गठन निम्नलिखित सीमाओं के अध्यधीन वित्तीय सहायता की मंजूरी देने के लिए किया गया था:

संस्था का प्रकार	विशिष्ट स्कीम / परियोजना के लिए सीमा	एक वित्तीय वर्ष में कुल अधिकतम सीमा
केंद्र/राज्य सरकार की विद्युत संस्था (यूटिलिटी) या केंद्र/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	₹500 करोड़ रुपी सावधि ऋण	₹30,000 करोड़
	कोविड–19 के तहत, डिस्कॉमों को ₹500 करोड़ से अधिक का विशिष्ट दीर्घावधि पारगमन (ट्रांजिशन) ऋण	
	उदय योजना के तहत ₹500 करोड़ से अधिक का विशेष ऋण	
	उदय योजना की सीमा में छूट देते हुए डिस्कॉमों को ₹500 करोड़ से अधिक का विशेष दीर्घावधि पारगमन (ट्रांजिशन) ऋण	
	डिस्कॉम / गेडकोस को ₹500 करोड़ से अधिक की परिक्रामी बिल भुगतान सुविधाएं	
निजी क्षेत्र की विद्युत संस्था (यूटिलिटी)	₹500 करोड़ तक	₹10,000 करोड़

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, ऋण समिति की 11 (ग्यारह) बैठकें आयोजित की गईं। दिनांक 31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार, ऋण समिति की संरचना और वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्र सं.	निदेशक का नाम	समिति में धारित पद	बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति											बैठकों की कुल संख्या		
			21 – मई – 20	25 – जून – 20	3 – जुलाई – 20	10 – जुलाई – 20	17 – जुलाई – 20	11 – सितंबर – 20	25 – सितंबर – 20	27 – अक्टूबर – 20	23 – दिसंबर – 20	13 – जनवरी – 21	4 फरवरी – 21	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक ने भाग लिया	उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्री संजय मल्होत्रा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष (दिनांक 9 नवंबर, 2020 से)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	👤	👤	3	3	100
2	श्री संजीव कुमार गुप्ता निदेशक (तकनीकी)	सदस्य (1 जून, 2020 से 8 नवंबर, 2020 के दौरान अध्यक्ष)	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	11	11	100
3	श्री अजीत कुमार अग्रवाल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त)	(दिनांक 31 मई, 2020 तक अध्यक्ष)	👤	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1	1	100
4	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त)	सदस्य (1 जून, 2020 से)	लागू नहीं	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	10	10	100
5	श्री तन्मय कुमार सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य (6 नवंबर, 2020 से)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	👤	👤	3	3	100
6	श्री मृत्युंजय कुमार नारायण सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य (5 नवंबर, 2020 तक)	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	8	8	100

👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

ऋण समिति की बैठकों के लिए कार्यवाहक संख्या (कोरम), अध्यक्ष और सरकार द्वारा नामित निदेशक सहित तीन सदस्य है। कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

उचित सावधानी और अनुमोदन के स्तर को अनदेखा किए बिना निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, निदेशक मण्डल ने दिनांक 28 मई, 2021 को ऋण समिति को भंग कर दिया तथा इसकी शक्तियां को निदेशक (तकनीकी) और निदेशक (वित्त) की सहमति से निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को सौंप दिंया गया।

3.7 कार्यकारी समिति

निदेशकों की कार्यपालक समिति का गठन निम्नलिखित सीमाओं के अध्यधीन वित्तीय सहायता की मंजूरी देने के लिए किया गया था:

संस्था का प्रकार	विशिष्ट स्कीम/परियोजना के लिए सीमा	एक वित्तीय वर्ष में कुल अधिकतम सीमा
केंद्र/राज्य सरकार की विद्युत संस्था (यूटिलिटी) या केंद्र/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	₹150 करोड़ तक के रूपी मियादी ऋण	₹25,000 करोड़
निजी क्षेत्र की विद्युत संस्था (यूटिलिटी)	₹100 करोड़ तक के रूपी मियादी ऋण	₹6,000 करोड़

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कार्यपालक समिति की 7 (सात) बैठकें आयोजित की गईं। दिनांक 31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार, कार्यपालक समिति की संरचना और वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्र सं.	निदेशक का नाम	समिति में धारित पद	बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति							बैठकों की कुल संख्या		
			21–मई–20	29–जून–20	9–सितंबर–20	14–अक्तूबर–20	3–फरवरी–21	19–मार्च–21	24–मार्च–21	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक ने भाग लिया	उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्री संजय मल्होत्रा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष *(9 नवंबर, 2020 से)*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	👤	👤	3	3	100
2	श्री संजीव कुमार गुप्ता निदेशक (तकनीकी)	सदस्य *(1 जून, 2020 से 8 नवंबर, 2020 के दौरान अध्यक्ष रहे)*	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	7	7	100
3	श्री अजीत कुमार अग्रवाल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त)	*(31 मई, 2020 तक अध्यक्ष)*	👤	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1	1	100
4	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त)	सदस्य *(1 जून, 2020 से)*	लागू नहीं	👤	👤	👤	👤	👤	👤	6	6	100

👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

कार्यपालक समिति के बैठकों के लिए कार्यवाहक संख्या (कोरम), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित दो सदस्य है। कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

उचित सावधानी और अनुमोदन के स्तर को अनदेखा किए बिना निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, निदेशक मण्डल ने दिनांक 28 मई, 2021 को कार्यपालक निदेशक समिति को भंग कर दिया तथा इसकी शक्तियां को निदेशक (तकनीकी) और निदेशक (वित्त) की सहमति से निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को सौंप दिया गया।

3.8 मियादी ऋणों/अल्पावधि ऋणों के लिए ऋण दरों की समीक्षा के लिए उप–समिति

मियादी ऋणों/अल्पावधि ऋणों के लिए ऋण दरों की समीक्षा के लिए निदेशकों की उप–समिति का गठन कंपनी द्वारा दिए गए मियादी ऋणों और अल्पावधि ऋणों के लिए विभिन्न ऋण दरों की समीक्षा के लिए किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, उक्त उप–समिति की 9 (नौ) बैठकें आयोजित की गईं। दिनांक 31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार, उक्त उप–समिति की संरचना और वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्र सं.	निदेशक का नाम	समिति में धारित पद	बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति									बैठकों की कुल संख्या		
			20–मई–20	27–जुलाई–20	26–अगस्त–20	1–सितंबर–20	9–अक्टूबर–20	4–जनवरी–21	3–फरवरी–21	8–मार्च–21	31–मार्च–21	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक ने भाग लिया	उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्री संजय मल्होत्रा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष *(9 नवंबर, 2020 से)*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	👤	👤	👤	4	4	100
2	श्री संजीव कुमार गुप्ता निदेशक (तकनीकी)	सदस्य *(1 जून, 2020 से 8 नवंबर, 2020 के दौरान अध्यक्ष रहे)*	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	9	9	100
3	श्री अजीत कुमार अग्रवाल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त)	*(31 मई, 2020 तक अध्यक्ष)*	👤		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1	1	100
4	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त)	सदस्य *(1 जून, 2020 से)*	लागू नहीं	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	8	8	100

👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

उक्त उप–समिति की बैठकों के लिए कार्यवाहक संख्या (कोरम), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित दो सदस्य है। कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

उचित सावधानी और अनुमोदन के स्तर को अनदेखा किए बिना निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, निदेशक मण्डल ने दिनांक 28 मई, 2021 को कार्यपालक निदेशक समिति को भंग कर दिया तथा इसकी शक्तियां को निदेशक (तकनीकी) और निदेशक (वित्त) की सहमति से निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को सौंप दिया गया।

3.9 अधिशेष निधियों के निवेश/उपयोग के लिए समिति

अधिशेष निधियों के निवेश/उपयोग के लिए समिति का गठन जमा प्रमाणपत्रों में एक बार में ₹1000 करोड़ और उससे अधिक या म्यूचुअल फंडों एवं सावधि जमाओं में एक बार में ₹2000 करोड़ और उससे अधिक की अल्पावधि अधिशेष निधियों के निवेश / उपयोग को अनुमोदित करने के उद्देश्य से किया गया है। इस समिति की बैठकें आवश्यकता पड़ने पर अल्पकालिक अधिशेष निधियों के निवेश/उपयोग पर निर्णय लेने के लिए आयोजित की जाती हैं। समिति की अध्यक्षता, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है; तथा निदेशक (तकनीकी) और निदेशक (वित्त) इसके सदस्य हैं।

उक्त समिति की बैठकों के लिए कार्यवाहक संख्या (कोरम), अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित दो सदस्य है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान उक्त समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

3.10 परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ)

एनबीएफसी के लिए परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रणाली के संबंध में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसरण में, कंपनी ने एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं तथा सदस्यों में निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) और कंपनी के वित्त और प्रचालन प्रभागों के कार्यपालक निदेशक या मुख्य महाप्रबंधक शामिल हैं।

एएलसीओ, एएलएम सहायता समूह – जो चलनिधि अंतर विश्लेषण, ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण और विदेशी मुद्रा संचलन आदि पर विभिन्न रिपोर्ट प्रदान करता है – की मदद से चलनिधि, ब्याज दरों और मुद्रा दरों से संबंधित जोखिमों की निगरानी करता है। उपरोक्त जोखिमों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एएलसीओ की प्रत्येक तिमाही में बैठक आयोजित की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, एएलसीओ की 4 (चार) बैठकें आयोजित की गईं। दिनांक 31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार, एएलसीओ की संरचना और वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्र. सं.	निदेशक का नाम सदस्य का पदनाम	समिति में धारित पदनाम	बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति				बैठकों की कुल संख्या		
			29–जून–20	30–सितंबर–20	31–दिसंबर–20	26–मार्च–21	निदेशक / सदस्य के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक/ सदस्य ने भाग लिया	उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्री संजय मल्होत्रा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष *(9 नवंबर, 2020 से)*	लागू नहीं	लागू नहीं	📹	📹	2	2	100
2	श्री संजीव कुमार गुप्ता निदेशक (तकनीकी)	सदस्य *(1 जून, 2020 से 8 नवंबर, 2020 के दौरान अध्यक्ष)*	📹	👤	📹	📹	4	4	100
3	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त)	सदस्य *(1 जून, 2020 से)*	📹	👤	📹	📹	4	4	100
4	कार्यपालक निदेशक (संसाधन)	सदस्य	📹	👤	📹	📹	4	4	100
5	कार्यपालक निदेशक / मुख्य महाप्रबंधक (निजी / राज्य प्रचालन)	सदस्य	📹	👤	📹	📹	4	4	100
6	मुख्य महाप्रबंधक (एएलएम)	सदस्य	📹	👤	📹	📹	4	4	100

👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित   📹 वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित

एएलसीओ की बैठकों के लिए कार्यवाहक संख्या (कोरम), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) सहित तीन सदस्य है। मुख्य महाप्रबंधक (एएलएम) एएलसीओ के संयोजक के रूप में कार्य करते हैं। कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी आवश्यकता के अनुसार एएलसीओ की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है।

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अपनी अनुपस्थिति में किसी पूर्णकालिक निदेशक को एएलसीओ की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, आवश्यकता पड़ने पर, प्रत्येक सदस्य और एएलसीओ के संयोजक के लिए किसी पूर्तिकर (बैकअप) कार्यपालक को भी प्राधिकृत कर सकते हैं।

3.11 आईटी कार्यनीति समिति

एनबीएफसी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर दिशानिर्देश के अनुपालन में, आरईसी के निदेशक मण्डल ने आरईसी में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए एक आईटी कार्यनीति समिति का गठन किया है। आईटी कार्यनीति समिति की भूमिका में कार्यनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों को निर्धारित करने के तरीकों की निगरानी करना, आईटी संसाधनों के सोर्सिंग और उपयोग के लिए उच्च–स्तरीय दिशा प्रदान करना और कंपनी की आईटी कार्यनीति और नीति दस्तावेजों को मंजूरी देना शामिल है।

आईटी कार्यनीति समिति की संरचना में एक स्वतंत्र निदेशक, मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ) एवं मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ), सुरक्षा परिषद के आईटी सदस्य और आईएसएमएस अधिकारी और एक बाह्य तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं। तथापि, चूंकि वर्तमान में बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं, आरईसी में स्वतंत्र निदेशक (निदेशकों) की नियुक्ति होने पर आईटी कार्यनीति समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आईटी कार्यनीति समिति की 2 (दो) बैठकें आयोजित की गईं। दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, आईटी कार्यनीति समिति की संरचना और वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्र सं.	सदस्य का पदनाम	समिति में धारित पद	बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति		बैठकों की कुल संख्या		
			6– अगस्त – 20	26– फरवरी – 21	सदस्य के कार्यकाल के दौरान आयोजित	सदस्य ने भाग लिया	उपस्थिति का प्रतिशत
1	कार्यपालक निदेशक (आईटी) मुख्य सूचना अधिकारी	अध्यक्ष	📹	👤	2	2	100
2	मुख्य महाप्रबंधक (आईटी) मुख्य तकनीकी अधिकारी	सदस्य	📹	👤	2	2	100
3	वरिष्ठ महाप्रबंधक (आईटी) आईएसएमएस अधिकारी	सदस्य / संयोजक	📹	👤	2	2	100
4	बाह्य तकनीकी विशेषज्ञ	सदस्य	📹	👤	2	2	100

👤 स्वयं उपस्थित   📹 वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित

4. अन्य समितियां

बोर्ड द्वारा समय–समय पर गठित निदेशकों की समितियों के अलावा, विशिष्ट मामलों की निगरानी के लिए बोर्ड द्वारा कुछ अतिरिक्त समितियों का भी गठन किया गया है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

4.1 बंधपत्र (बांड) समिति

आरईसी के कराधीन प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बंधपत्रों (टैक्सेबल सिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन–कन्वर्टिबल बॉन्ड्स) के सार्वजनिक निर्गम से संबंधित मामलों की देखरेख के लिए निदेशक मण्डल द्वारा निदेशकों की बंधपत्र (बांड) समिति का गठन किया जाता है।

दिनांक 31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार, बंधपत्र (बांड) समिति की संरचना में अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा सदस्य के रूप में निदेशक (तकनीकी) और निदेशक (वित्त) शामिल थे। उक्त समिति की बैठकों के लिए कार्यवाहक संख्या (कोरम), अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित दो सदस्य है। तथापि, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उक्त समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

4.2 शेयर अंतरण समिति

शेयर अंतरण समिति भौतिक खंड के तहत प्रत्येक मामले में प्रति व्यक्ति 500 से अधिक इक्विटी शेयरों के पारेषण, प्रतिस्थापन, विखंडन और समेकन के अनुरोधों और डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के अनुरोधों पर विचार करती है। दिनांक 31 मार्च, 2021 तक, शेयर अंतरण समिति में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी, नामतः श्री जे. एस. अमिताभ (कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव) और श्री दलजीत सिंह खत्री (मुख्य महाप्रबंधक – वित्त) सदस्य के रूप में शामिल थे। इसके अलावा, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयर अंतरण समिति की एक बैठक अर्थात् दिनांक 11 दिसंबर, 2020 को आयोजित की गई।

5. सहायक कंपनियां

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आरईसी के पूर्ण स्वामित्व वाली दो सहायक कंपनियां नामतः आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (बाद में दिनांक 16 जुलाई, 2021 से इसका नाम बदलकर आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) कर दिया गया) और आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) थीं। आरईसी के निदेशक मण्डल ने प्रचालन में बेहतर तालमेल, विभिन्न बाजार खंडों तक अधिक पहुंच और उच्च पूंजी आधार एवं भंडारित संसाधनों का लाभ उठाने के लिए उक्त दोनों कंपनियों के एकल संस्था के रूप में समामेलन की मंजूरी दी थी। तदनुसार, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा दिनांक 5 फरवरी, 2021 के आदेश द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230–232 के तहत, आरईसीपीडीसीएल (स्थानांतरिती कंपनी) के साथ आरईसीटीपीसीएल (स्थानांतरणकर्ता कंपनी) के समामेलन की व्यवस्था की योजना को अनुमोदित किया गया था। समामेलन दिनांक 1 अप्रैल, 2020 की नियत तारीख और 6 फरवरी, 2021 को प्रभावी तारीख से लागू हुआ।

समामेलन के अनुसरण में, आरईसीपीडीसीएल, विद्युत मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा समय–समय पर सौंपी गई स्वतंत्र अंतर–राज्यीय और अंतरा–राज्य पारेषण परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क (टैरिफ) आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से पारेषण सेवा प्रदाताओं के चयन के लिए "बोली प्रक्रिया समन्वयक" के रूप में भी कार्य करता है। प्रत्येक स्वतंत्र अंतर–राज्यीय / अंतरा–राज्य पारेषण परियोजना के विकास को आरंभ करने के लिए, आरईसीपीडीसीएल, परियोजना विशिष्ट विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के रूप में शामिल करता है। प्रशुल्क (टैरिफ) आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) दिशानिर्देशों के अनुसार सफल बोलीदाता के चयन के बाद, ऐसी सहायक कंपनियों को आरईसीपीडीसीएल द्वारा सभी परिसंपत्तियों और देयताओं के साथ सफल बोलीदाता को स्थानांतरित कर दिया जाता है। उपरोक्त के संदर्भ में, आरईसीपीडीसीएल ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के

दौरान चयनित बोलीदाता को 1 (एक) परियोजना विशिष्ट एसपीवी हस्तांतरित किया है, जिसका विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में बोर्ड की रिपोर्ट में प्रदर्शित किया रहा है। इसके अलावा, दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, आरईसीपीडीसीएल के निम्नलिखित परियोजना विशिष्ट एसपीवी/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) के अनुसार आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां भी) थीं:

(1) दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड*
(2) चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड
(3) कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड
(4) दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड
(5) मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड
(6) कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड
(7) गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड
(8) फतेहगढ़ भादला ट्रांसको लिमिटेड#
(9) राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
(10) बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड
(11) सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड#
(12) एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज– I लिमिटेड
(13) एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज– II लिमिटेड

* रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से इस कंपनी के नाम को हटाने की प्रक्रिया चल रही है।

\# दिनांक 4 जून, 2021 को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को हस्तांतरित

उपरोक्त कंपनियों का विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में बोर्ड की रिपोर्ट में प्रदर्शित किया जा रहा है।

जैसा कि सेबी एलओडीआर विनियमों के तहत परिभाषित किया गया है, कंपनी की कोई "मूर्त सहायक कंपनी" नहीं है। इसके अलावा, कंपनी ने उक्त विनियमों के तहत यथाअपेक्षित सहायक कंपनियों के महत्व पर एक नीति तैयार की है। उक्त नीति https://www.recindia.nic.in/uploads/files/cs-policy-determining-material-subsidiaries-dt230719.pdf पर उपलब्ध है।

सभी सहायक कंपनियों की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त कंपनी के निदेशक मण्डल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं। आरईसी की लेखापरीक्षा समिति द्वारा गैर–सूचीबद्ध सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों, विशेष रूप से गैर–सूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किए गए निवेशों, की समीक्षा की गई थी। आरईसीपीडीसीएल के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और संबंधित जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर उपलब्ध हैं।

6. आम निकाय बैठकें

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) का विवरण नीचे दिया गया है:–

वार्षिक आम बैठक की संख्या	वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	क्या कोई विशेष संकल्प पारित किया गया
49वीं	2017–18	25 सितंबर, 2018	11:00 बजे पूर्वाह्न	मानेकशॉ सेंटर, परेड रोड, दिल्ली कैंटोन्मेंट, नई दिल्ली –110010	हां
50वीं	2018–19	29 अगस्त, 2019	11:00 बजे पूर्वाह्न	मानेकशॉ सेंटर, परेड रोड, दिल्ली कैंटोन्मेंट, नई दिल्ली –110010	हां
51वीं	2019–20	25 सितंबर, 2020	11:00 बजे पूर्वाह्न	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो–विजुअल रीति से	हां

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) की कोई प्रक्रिया आयोजित नहीं की गई और डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। इसके अलावा, आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) तक डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) प्रक्रिया के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित करने का प्रस्ताव नहीं है।

दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और 13 अप्रैल, 2020 को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए के परिपत्र") द्वारा जारी परिपत्रों, जिन्हें कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 तक बढ़ाया गया, और दिनांक 12 मई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्र, जिसे सेबी द्वारा दिनांक 15 जनवरी, 2021 तक बढ़ाया गया, के साथ पठित दिनांक 5 मई, 2020 के सामान्य परिपत्र के अनुसरण में, आरईसी की 52वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो–विजुअल रीति में किया जा रहा है। कंपनी शेयरधारकों को उक्त एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक रूप से भाग लेने की सुविधा प्रदान करेगी और शेयरधारकों को उक्त एजीएम में अपने मताधिकार का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रयोग करने में सक्षम बनाएगी। उक्त एजीएम में भाग लेने के बारे में विवरण और अन्य प्रासंगिक जानकारी इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में कंपनी की 52वी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में प्रदर्शित किया जा रहा है।

7. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दस्तावेजों की प्रदायगी

वित्तीय वर्ष 2010–11 से, आरईसी ऐसे शेयरधारकों को वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट आदि जैसे दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी कर रहा है, जिनकी ईमेल आईडी संबंधित निक्षेपागार प्रतिभागियों (डीपी) या पंजीयक और शेयर अंतरण अभिकर्ता (आर एंड टीए) के साथ पंजीकृत हैं। ऐसे शेयरधारकों, जिनके ईमेल आईडी पंजीकृत हैं, को इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाभांश (अंतरिम या अंतिम) की सूचना भी भेजी जा रही है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ कंपनी की 52वी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना, उन सभी सदस्यों को ई–मेल द्वारा भेजी जाएगी, जिनके ई–मेल आईडी कंपनी के साथ पंजीकृत हैं।

कंपनी ने भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित किए हुए शेयरधारकों को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए, उन्हें ईमेल आईडी पंजीकृत करने या अपडेट करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। इसके अलावा, कंपनी ने ऐसे शेयरधारकों को ई–मेल आईडी को अपडेट करने के लिए एसएमएस भी भेजे हैं, जिनके मोबाइल नंबर संबंधित निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) में पंजीकृत थे। उपरोक्त प्रयासों के बावजूद, ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अभी तक अपनी ई–मेल आईडी को पंजीकृत या अद्यतन नहीं किया है, वे ई–मेल आईडी के पंजीकरण और आगामी एजीएम में मतदान के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त के अधिप्रापण के लिए 52वी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी के बोर्ड और समितियों की बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सक्रिय रूप से आयोजित की जाती हैं। कार्यसूची दस्तावेजों तक पेपरलेस पहुंच को सक्षम बनाने के लिए, कार्यसूची (एजेंडा) और टिप्पणियां (नोट) भी एक सुरक्षित मंच के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए निदेशकों को संप्रेषित किए जा रहे हैं।

8. सचिवीय लेखापरीक्षा

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा मेसर्स हेमंत सिंह एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरी, दिल्ली द्वारा की गई है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट कंपनी को सौंप दी है। सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति पणधारियों की जानकारी के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न है। इसके अलावा, सचिवीय लेखापरीक्षक की टिप्पणियां और उन पर प्रबंधन का उत्तर, इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में बोर्ड की रिपोर्ट में प्रदर्शित किया जा रहा है।

9. संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार (लेन–देन)

कंपनी ने सेबी एलओडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुसार संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार (लेनदेन) और संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार (लेनदेन) को संभालने के महत्व के संबंध में एक नीति तैयार की है। उक्त नीति https://www.recindia.nic.in/uploads/files/RPTPolicyREC-230821.pdf पर उपलब्ध है।

उक्त नीति के अनुसार, संबंधित पक्षकार के साथ सभी संव्यवहारों (लेन–देन) को लेखा परीक्षा समिति और/या निदेशक मण्डल या शेयरधारकों, जैसा भी मामला हो, द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार (लेनदेन) को लेखाओं की टिप्पणियों में शामिल किया गया है। संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार (लेनदेन) पर लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मण्डल की जानकारी के लिए तिमाही आधार पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए, फॉर्म एओसी–2 में प्रकटन करने के लिए अपेक्षित संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार (लेनदेन) के ब्यौरे 'शून्य' थे।

10. प्रकटीकरण

1. कंपनी ने, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के अलावा, सेबी एलओडीआर विनियम, कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों, लागू सचिवीय मानकों और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों, समय–समय पर यथासंशोधित, की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण, बोर्ड की कुछ समितियों की संरचना भी सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थी। कंपनी ने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में सक्षम बनने के लिए पहले ही विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, अर्थात् नियुक्ति प्राधिकारी से कंपनी के बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में तेजी लाने का अनुरोध किया है।

   पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित ऐसा कोई भी मामला नहीं था जिसमें अनुपालन न किया गया हो। तथापि, वित्तीय वर्ष 2019–20 में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित सभी पूर्व स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल के पूरा होने या पदभार छोड़ने के बाद, वर्तमान में बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति तथा बोर्ड और उसकी कुछ समितियों की संरचना के संबंध में सेबी एलओडीआर विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण, एनएसई और बीएसई द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2020, दिनांक 30 जून, 2020, दिनांक 30 सितंबर, 2020, दिनांक 31 दिसंबर, 2020 और दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाहियों के लिए आरईसी पर जीएसटी सहित कुल ₹95,93,400/– (₹47,96,700/– प्रत्येक जीएसटी सहित) का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों से उक्त जुर्माने को माफ करने का अनुरोध किया गया है/किया जा रहा है, चूंकि कंपनी में निदेशक नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है जो प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हैं और यह मामला कंपनी के नियंत्रण से बाहर है। यह उल्लेख करना उचित है कि कंपनी पर सितंबर 2020 और दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाहियों के लिए अधिरोपित जुर्माने को बीएसई ने पहले ही माफ कर दिया है। कंपनी शेष जुर्माने (जुर्मानों) को भी माफ करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों के साथ अनुसरण कर रही है।

2. सांविधिक प्रावधानों के तहत यथाअपेक्षित, सभी विवरणियां, रिपोर्ट और प्रकटीकरण स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य प्राधिकरणों में निर्धारित समय–सीमा के भीतर दर्ज कराए गए थे।

3. कंपनी ने, उपरोक्त बिंदु 1 में यथावर्णित, महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक न होने और बोर्ड की कुछ समितियों के गठन को छोड़कर, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17 से 27 की बोर्ड, समितियों और कॉर्पोरेट सुशासन से संबंधित अपेक्षाओं, समय–समय पर यथासंशोधित; और सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 46 के तहत कंपनी की वेबसाइट को बनाए रखने और अद्यतन करने से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

   कंपनी ने सेबी एलओडीआर विनियमों की अनुसूची V के भाग ग के अनुसार कॉर्पोरेट सुशासन संबंधी रिपोर्ट के तहत प्रकटीकरण अपेक्षाओं का भी अनुपालन किया है।

   इसके अलावा, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 46 के अनुपालन में, कंपनी ने अन्य बातों के साथ–साथ अपनी वेबसाइट (www.recindia.nic.in) पर प्रासंगिक जानकारी जैसे कंपनी के व्यवसाय का विवरण, निदेशक मण्डल की विभिन्न समितियों की संरचना, बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय आचार और नीति संहिता आदि का प्रकटीकरण किया है।

   सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति की स्थापना का विवरण, गैर–कार्यपालक निदेशकों को भुगतान के मानदंड, संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार (लेन–देन) को संभालने संबंधी नीति, मूर्त सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति, स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किए गए परिचय कार्यक्रम का विवरण और स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकटीकरण के लिए घटनाओं के महत्व के निर्धारण के लिए नीति आदि भी आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in/policies पर उपलब्ध हैं।

4. कंपनी की बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसमें हेजिंग नीति, जो मुद्राओं में विनिमय दर में उतार–चढ़ाव जो विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग की परिसंपत्तियों, देयताओं और ऑफ–बैलेंस शीट व्यवस्थाओं के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं – सहित विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम के प्रबंधन के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करती है, को कवर किया जाता है। लेखाओं के लिए टिप्पणियों में विदेशी मुद्रा जोखिमों के संबंध में उपयुक्त प्रकटीकरण किए जाते हैं, जो लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों का भाग होते हैं और उनका प्रबंधन विभिन्न व्युत्पन्न लिखतों जैसे स्वैप, ऑप्शंस, फॉरवर्ड आदि के माध्यम से किया जा रहा है। कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति ऐसी नहीं है, जो किसी भी वस्तु की कीमत के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकती है।

5. निदेशकों और अधिकारियों को क्षतिपूर्ति करने के लिए, कंपनी ने एक 'निदेशक और अधिकारी (डी एंड ओ) देयता बीमा पॉलिसी' प्राप्त की है, जो कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों के प्रति उत्पन्न होने वाली देयताओं को व्यापक रूप से कवर करती है। बीमा पॉलिसी में कंपनी के स्वतंत्र निदेशक, कंपनी सचिव, अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा सभी प्रबंधक और उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारी सहित आरईसी के निदेशक मण्डल को कवर किया जाता है।

6. कंपनी ने निदेशक (निदेशकों) या प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों या कंपनियों और फर्मों आदि के साथ कोई महत्वपूर्ण, वित्तीय या वाणिज्यिक संव्यवहार (लेन–देन) नहीं किया है, जिसमें उन्हें या तो प्रत्यक्ष रूप से या अपने रिश्तेदारों के माध्यम से निदेशक और/या भागीदारों के रूप में लाभ मिला हो।

7. संबंधित पक्षकारों अर्थात् प्रमोटरों, निदेशकों या प्रबंधन के साथ कंपनी के हितों के विपरीत कोई महत्वपूर्ण लेन–देन नहीं किया गया था। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था, इसलिए उनकी शेयरधारिता का विवरण लागू नहीं था।

8. संबंधित पक्षकारों अर्थात् प्रमोटरों, निदेशकों या प्रबंधन के साथ कंपनी के हितों के विपरीत कोई महत्वपूर्ण लेन–देन नहीं किया गया था। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था, इसलिए उनकी शेयरधारिता का विवरण लागू नहीं था।

9. कंपनी ने जोखिम मूल्यांकन और शमन के बारे में बोर्ड को सूचित करने की प्रक्रिया निर्धारित की है। कंपनी का निदेशक मण्डल यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है कि समेकित जोखिमों को एक उचित निर्धारित फ्रेमवर्क के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड की एक जोखिम प्रबंधन समिति भी मौजूद है।

10. वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए तुलन–पत्र (बैलेंस शीट), लाभ और हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 ("इंड एएस"), यथासंशोधित, और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

11. कंपनी यह पुष्टि करती है कि सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति मौजूद है और किसी भी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।

12. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुरूप, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान उक्त अधिनियम के तहत शिकायतों के संबंध में प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	विवरण	शिकायतों की संख्या
1.	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	शून्य
2.	वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	शून्य
3.	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य

13. कंपनी ने सभी अनिवार्य मदों (बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों और कुछ समितियों, जिनमें स्वतंत्र निदेशकों की मौजूदगी की आवश्यकता होती है, के गठन को छोड़कर) को अपनाया है; और कंपनी ने सेबी एलओडीआर विनियमों के तहत निर्धारित निगमित सुशासन पर कुछ गैर–अनिवार्य मदों को भी अपनाया है, जिसकी स्थिति निम्नानुसार है;

    क) बोर्डः कंपनी के प्रमुख, एक कार्यपालक अध्यक्ष हैं;

    ख) शेयरधारक के अधिकारः कंपनी शेयरधारकों/निवेशकों को सभी प्रासंगिक जानकारी यथासमय उपलब्ध करा रही है, ताकि उन्हें कंपनी के प्रमुख निर्णयों के बारे में पर्याप्त रूप से सूचित किया जा सके;

    ग) लेखा परीक्षा शर्तेंः वित्तीय वर्ष 2020–21 से संबंधित कोई लेखा परीक्षा शर्त नहीं है और कंपनी सदैव शर्तरहित वित्तीय विवरणों को बनाए रखने का प्रयास करती है;

    घ) आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंगः कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकार्य के प्रमुख सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करते हैं और उन्हें लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता हैं।

    एक सरकारी कंपनी होने के नाते, आरईसी में मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) की भूमिका का निर्वहन अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है और मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) की भूमिका कंपनी के निदेशक (वित्त) द्वारा निभाई जाती है।

14. वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी को माननीय राष्ट्रपति का कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। पिछले तीन वर्षों में, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2018–19 में बोर्ड–स्तर और बोर्ड–स्तर से नीचे के कार्यपालकों के दिनांक 1 जनवरी, 2017 से वेतन संशोधन के कार्यान्वयन के संबंध में माननीय राष्ट्रपति का एक निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसे कंपनी द्वारा लागू किया गया है।

15. कंपनी ने ऐसा कोई भी व्यय नहीं किया है जो व्यवसाय के उद्देश्य के लिए न हो। इसके अतिरिक्त, ऐसा कोई व्यय भी नहीं किया गया था जो व्यक्तिगत प्रकृति का था तथा जिसे निदेशक मण्डल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किया गया था।

16. प्रशासनिक और कार्यालय व्यय, मुख्य रूप से कोविड महामारी के कारण यात्रा और परिवहन खर्च में ₹5.69 करोड़ की कमी और अन्य विविध खर्चों में कमी के कारण पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ₹131.70 करोड़ की तुलना में कम होकर वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ₹106.71 करोड़ हो गया है। कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों में सामान्य वृद्धि/कमी के अनुरूप अन्य व्ययों में मामूली अंतर है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय व्यय 0.43% (पिछले वर्ष 0.58%) और वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए वित्तीय व्यय के प्रतिशत के रूप में 0.56% (पिछले वर्ष 0.69%) था।

17. निगमित सुशासन के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, विद्युत मंत्रालय को, डीपीई के माध्यम से, तिमाही अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित समय–सीमा के भीतर प्रस्तुत की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान डीपीई को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का विवरण निम्नानुसार थाः

निम्नलिखित तारीख को समाप्त तिमाही के लिए रिपोर्ट	रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख
30 जून, 2020	9 जुलाई, 2020
30 सितंबर, 2020	12 अक्टूबर, 2020
31 दिसंबर, 2020	12 जनवरी, 2021
31 मार्च, 2021	12 अप्रैल, 2021

इसके अलावा, वार्षिक स्कोर (चार तिमाहियों का समेकित स्कोर) की रिपोर्ट डीपीई को निर्धारित समय–सीमा के भीतर दिनांक 29 अप्रैल, 2021 को प्रस्तुत कर दी गई थी।

कंपनी ने, वित्तीय वर्ष 2020–21 की सभी तिमाहियों के लिए, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियमन 27(2)(क) के तहत कॉर्पोरेट सुशासन के संबंध में तिमाही अनुपालन रिपोर्ट भी स्टॉक एक्सचेंजों को निर्धारित समय–सीमा के भीतर प्रस्तुत की है।

18. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के संबंध में अपनी रिपोर्ट में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है। इसके अलावा, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया है कि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सेबी (एलओडीआर) विनियमों के प्रावधान के अनुरूप, असंशोधित राय के साथ एकल (स्टैंडअलोन) और समेकित वित्तीय निष्कर्षों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

19. कॉर्पोरेट सुशासन के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए एक नीति तैयार की है। बोर्ड के सदस्य अपनी आवश्यकता के आधार पर समय–समय पर विभिन्न सेमिनारों, सम्मेलनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि में भाग लेते हैं।

    उनकी नियुक्ति पर, बोर्ड के सदस्यों को आवश्यक दस्तावेज, रिपोर्ट और आंतरिक नीतियां उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि वे कंपनी की प्रक्रियाओं और परिपाटियों से अवगत हो सकें। इसके अलावा, बोर्ड की बैठकों में कंपनी के व्यवसाय और प्रदर्शन के बारे में भी प्रस्तुतीकरण दिए जाते हैं। स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रमों का विवरण https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Familiarization-programme290621.pdf पर उपलब्ध है।

20. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कोई स्टॉक ऑपशंस/ईएसओपी जारी नहीं किये हैं।

21. सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 32(7क) के तहत निर्दिष्ट अधिमानी आबंटन या योग्य संस्थानों के प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के उपयोग का विवरण समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं था। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2020–21 में बांडों के निजी प्लेसमेंट के निर्गम आय के उपयोग में कोई भिन्नता नहीं थी।

22. आरईसी के घरेलू ऋण लिखतों के लिए "एएए" रेटिंग, जो कि क्रिसिल, सीएआरई, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च और आईसीआरए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में दी गई उच्चतम रेटिंग है, जारी रही। कंपनी को सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2020–21 में अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों मूडीज और फिच से क्रमशः "बीएए3" और "बीबीबी–" की अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आरईसी को प्रदान की गई रेटिंग में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

23. वार्षिक आधार पर, कंपनी प्रत्येक निदेशक से अन्य कंपनियों में उनके द्वारा बोर्ड और समिति में धारित पदों और उनमें परिवर्तन, यदि कोई हो, का विवरण प्राप्त करती है। इसके अलावा, मैसर्स हेमंत सिंह एंड एसोसिएट्स, कार्यरत कंपनी सचिव, ने यह पुष्टि करते हुए एक प्रमाण पत्र प्रदान किया है कि कंपनी के बोर्ड में किसी भी निदेशक को सेबी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या पद पर बने रहने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है। उक्त प्रमाण पत्र की प्रति इस रिपोर्ट के **अनुबंध–क** पर दी गई है।

24. विशिष्ट प्रचालन क्षेत्रों की निगरानी के लिए, कंपनी के निदेशक मण्डल ने विभिन्न बोर्ड–स्तरीय समितियों का गठन किया है और इन समितियों को कुछ प्रकार्य सौंपे हैं। संबंधित समिति (समितियां) अपने नियत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं और सुविज्ञ निर्णय लेती हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर, निदेशक मण्डल द्वारा आगे विचार किए हेतु सिफारिशें करती हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, निदेशक मण्डल द्वारा कंपनी की किसी बोर्ड–स्तरीय समिति की ओर से की गई सिफारिश को स्वीकार न किए जाने का कोई मामला नहीं था।

11. लागू कानूनों का अनुपालन

लागू कानूनों और इनसे संबंधित सांविधिक एवं प्रक्रियात्मक अनुपालनों के अनुपालन की निगरानी के लिए कंपनी में एक सुदृढ़ प्रणाली मौजूद है। कंपनी का निदेशक मण्डल कंपनी पर लागू सभी कानूनों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर सांविधिक, नीतिगत और संबंधित प्रक्रियात्मक अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करता है।

12. बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय आचार एवं नीति संहिता

कंपनी में "बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय आचार और नीति संहिता" मौजूद है, जो कंपनी के सभी निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों पर लागू होती है। उक्त संहिता कंपनी के मिशन/विजन और उद्देश्यों के अनुरूप है और इसका लक्ष्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ावा देना है।

यह संहिता https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Code_Business_Conduct_Ethics.pdf पर उपलब्ध है। बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर, कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा उक्त संहिता के अनुपालन के संबंध में की गई घोषणा निम्नानुसार है:

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) एलओडीआर विनियम तथा कॉर्पोरेट सुशासन के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों के अंतर्गत घोषणा

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने "बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय आचार और नीति संहिता" के अनुपालन की पुष्टि की है।

ह0/–
संजय मल्होत्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00992744

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : जुलाई 22, 2021

13. नामित व्यक्तियों और उनके रिश्तेदारों द्वारा व्यापार के विनियमन, निगरानी और रिपोर्टिंग तथा उचित प्रकटीकरण के लिए आचार संहिता

कंपनी में "नामित व्यक्तियों और उनके निकट संबंधियों द्वारा व्यापार के विनियमन, निगरानी और रिपोर्टिंग तथा उचित प्रकटीकरण के लिए आचार संहिता" मौजूद है, जो इस उद्देश्य से तैयार की गई है कि नामित व्यक्ति और उनके निकट संबंधियों रिश्तेदार, जैसा कि उक्त संहिता में परिभाषित किया गया है, कंपनी के बारे में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई), जो सार्वजनिक डोमेन में नहीं है और इस प्रकार आंतरिक जानकारी का भाग है, तक पहुंच और उसके परिग्रह के जरिए कोई लाभ प्राप्त नहीं करते हैं या कोई लाभ प्राप्त करने के लिए दूसरों की सहायता नहीं करते हैं। कंपनी सचिव को कंपनी का अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है; और वह उक्त संहिता के पालन के लिए उत्तरदायी है। उक्त संहिता कंपनी की वेबसाइट https://www.recindia.nic.in/uploads/files/cs-revised-insider-trading-code-submitted-to-stock-exchanges-dt070619.pdf पर पोस्ट की गई है।

उक्त संहिता में यूपीएसआई के प्रकटीकरण की रोकथाम के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं और संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए आंतरिक नियंत्रण के पर्याप्त तंत्र स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें यूपीएसआई के उचित प्रकटीकरण और वैध उद्देश्यों को निर्दिष्ट करने के लिए अपनाई जाने वाली परिपाटियों, प्रक्रियाओं और मानदंडों को भी निर्धारित किया गया है, जिसके अधीन यूपीएसआई को आरईसी के किसी भी पणधारी या व्यवसाय भागीदार के साथ साझा किया जा सकता है। संहिता में कंपनी के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में संव्यवहार करते समय पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं और किए जाने वाले प्रकटीकरण तथा गैर–अनुपालन के परिणामों को निर्दिष्ट किया गया है।

उक्त संहिता की अपेक्षाओं के अनुरूप, जब भी किसी यूपीएसआई को तिमाही परिणामों पर विचार सहित विचार और अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो ट्रेडिंग विंडो बंद कर दी जाती है और ट्रेडिंग विंडो को बंद करने की सूचना नामित कर्मचारियों और संबंधित व्यक्तियों को अग्रिम रूप से जारी की जाती है। इसके अतिरिक्त, जब ट्रेडिंग विंडो बंद की जाती है, तो उन्हें और उनके

परिवार के आश्रित सदस्यों को कंपनी की सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में व्यापार करने से रोकते हुए, कंपनी की वेबसाइट के साथ–साथ स्टॉक एक्सचेंजों, जिनमें कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, पर भी उचित घोषणाएं की जाती हैं।

14. धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए नीति

धोखाधड़ी का पता लगाने और इसकी रोकथाम, पाई गई या संदिग्ध धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग तथा धोखाधड़ी से संबंधित मामलों के निष्पक्ष प्रबंधन के लिए एक प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु आरईसी में धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए एक नीति तैयार की गई है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकथाम के लिए तथा धोखाधड़ी के मामले में इसे रोकने और/या धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए प्रक्रियाओं की स्थापना के लिए अपनी जिम्मेदारियों से अवगत है।

ii. कर्मचारियों और आरईसी के साथ संव्यवहार करने वाले अन्य लोगों को किसी भी धोखाधड़ी गतिविधि में शामिल होने से रोकने और किसी धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधि का संशय होने पर उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना।

iii. नोडल अधिकारी को धोखाधड़ी का पता चलने या संदेह होने पर रिपोर्ट करने के लिए समय–सीमा और विवरण प्रदान करना।

iv. धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों की जांच करना।

v. यह आश्वस्त करना कि किसी भी और सभी संदिग्ध धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों की पूरी तरह से जांच की जाएगी।

उक्त नीति https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Revised-Fraud-prevention-policy-of-REC&13082020.pdf पर उपलब्ध है।

15. व्हीसल ब्लोअर नीति

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और इनके साथ पठित इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, सेबी एलओडीआर विनियमों और कॉर्पोरेट प्रशासन के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी की एक सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीति है। सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीति, आरईसी और/या उसकी सहायक कंपनियों के निदेशकों/कर्मचारियों को किसी भी कथित कदाचार या दुराचार, जो कंपनी के व्यवसाय या प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकती है, के बारे में चिंता व्यक्त करने में सक्षम बनाती है। नीति के तहत निर्धारित रीति से सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शिकायत दायर की जा सकती है। उपरोक्त के अलावा, आरईसी ने दिनांक 17 मई, 2004 के कार्यालय आदेश के तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीति (पीआईडीपीआई संकल्प) को भी अपनाया है; और इसे कंपनी की "सतर्कता पुस्तिका" में शामिल किया गया है। आरईसी की सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीति https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Whistle_Blower_Policy-pdf पर उपलब्ध है।

कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा एक घोषणा, कि वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान किसी भी व्यक्ति को सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीति के तहत सक्षम प्राधिकारी तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है और, जहां आवश्यक हो, शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रणाली बनाई गई है, निम्नानुसार है:

कंपनी की सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीति के संदर्भ में वार्षिक अभिकथन

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, किसी भी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी तक पहुंच बनाने से नहीं रोका गया है और जहां आवश्यक हो, शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रणाली बनाई गई है।

ह0/–
संजय मल्होत्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 00992744

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : जुलाई 27, 2021

16. लेखापरीक्षकों को भुगतान किया गया कुल शुल्क

आरईसी और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा आरईसी के सांविधिक लेखापरीक्षकों और नेटवर्क फर्म/नेटवर्क इकाई, जिसके सांविधिक लेखापरीक्षक एक भाग हैं, में सभी संस्थाओं को सभी सेवाओं के लिए, समेकित आधार पर, भुगतान किए गए कुल शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2020–21	वित्तीय वर्ष 2019–20
क.	सांविधिक लेखा परीक्षक को भुगतान किया गया शुल्क:		
(i)	लेखा परीक्षक के रूप में	0.66	0.44
(ii)	कराधान मामलों के लिए*	0.25	0.11
(iii)	कंपनी कानून के मामलों के लिए (सीमित समीक्षा शुल्क सहित)	0.26	0.35
(iv)	अन्य सेवाओं के लिए:	–	–
	(क) एमटीएन प्रस्ताव दस्तावेज/आश्वासन पत्र का प्रमाणन	0.10	0.40
	(ख) अन्य प्रमाणपत्र	0.04	0.04
(v)	खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए	–	0.04
	उप जोड़	**1.31**	**1.38**
ख.	लेखा परीक्षकों को भुगतान किए गए शुल्क के संबंध में गैर–वसूली योग्य कर क्रेडिट	0.12	0.14
	कुल	**1.43**	**1.52**

* *पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित कराधान मामलों के लिए ₹0.12 करोड़ के शुल्क सहित (पिछले वर्ष में शून्य)*

17. संचार के साधन

कंपनी, शेयरधारकों/निवेशकों के अधिकारों और प्रासंगिक सूचनाओं के संचार को कंपनी के समग्र कॉर्पोरेट सुशासन फ्रेमवर्क के प्रमुख घटकों के रूप में मान्यता देती है; और इसलिए शेयरधारकों, निवेशकों और अन्य पणधारियों के साथ निरंतर, कुशल और प्रासंगिक संचार पर जोर दिया जाता है।

निवेशकों को कंपनी से संबंधित मामलों के बारे में अद्यतन रखने तथा एक उपयुक्त प्रतिक्रिया प्रणाली, जो प्रबंधन और निवेशकों के बीच सूचना प्रवाह और संचार को निर्देशित करती है, विकसित करने के उद्देश्य से समय पर जानकारी प्रदान करने और विश्लेषकों की बैठकें आयोजित करने के लिए, कंपनी में एक विश्लेषकों के साथ संवाद के लिए एक विशिष्ट निवेशक संबंध प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।

कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट, सामान्य बैठक, स्टॉक एक्सचेंजों और कंपनी की वेबसाइट पर प्रकटीकरण के माध्यम से अपने शेयरधारकों और निवेशकों के साथ संचार करती है। कंपनी अपने संस्थागत निवेशकों के साथ विश्लेषक ब्रीफिंग/व्यक्तिगत चर्चाओं के माध्यम से और समय–समय पर निवेशक सम्मेलनों में भाग लेकर भी संचार करती है। निवेशक समुदाय के साथ बातचीत करने के लिए बोर्ड के सदस्यों के लिए विश्लेषक और निवेशक बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा, मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ समय–समय पर प्रेस बैठक भी आयोजित की जाती हैं। तिमाही की समाप्ति के बाद आयोजित सम्मेलन–चर्चा के माध्यम से निवेशकों के साथ वित्तीय परिणामों पर चर्चा की जाती है। विश्लेषकों की बैठकों की प्रतिलेख भी कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं।

कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं का उल्लेख कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में भी किया जाता है, जिसे सदस्यों में परिचालित किया जाता है और कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाता है। शेयरधारक संबंधी जानकारी, घोषणाएं और कंपनी के बारे में नवीनतम अपडेट आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर देखी जा सकते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्टॉक एक्सचेंजों में समय–समय पर किए गए कॉर्पोरेट प्रकटीकरण
- तिमाही/अर्धवार्षिक/वार्षिक वित्तीय परिणाम
- कॉर्पोरेट सुशासन रिपोर्ट
- तिमाही शेयरधारिता पैटर्न
- सम्मेलन बैठक/विश्लेषकों की बैठकों के प्रतिलेख
- आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियां, संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों के समक्ष प्रस्तुतिकरण।

कंपनी के त्रैमासिक, अर्ध–वार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणामों के उद्धरण स्टॉक एक्सचेंजों को संप्रेषित किए जाते हैं और द इकोनॉमिक टाइम्स (अंग्रेजी और हिंदी), मिंट (अंग्रेजी), हिंदुस्तान (हिंदी) आदि जैसे वित्तीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। ये परिणाम और अन्य सभी घोषणाएं आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर भी उपलब्ध हैं ।

कंपनी समय–समय पर प्रेस विज्ञप्तियां और कॉर्पोरेट प्रस्तुतियां देती है, जिन्हें वेबसाइट www.recindia.nic.in पर अपलोड किया जाता है। सोशल मीडिया पर भी कंपनी की सक्रिय मौजूदगी है।

18. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17(8) के अनुसार, बोर्ड के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग और आंतरिक नियंत्रण के संबंध में कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र के साथ–साथ दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को दिनांक 28 मई, 2021 को आयोजित बोर्ड बैठक में बोर्ड के समक्ष रखा गया था। उक्त प्रमाण पत्र की एक प्रति इस रिपोर्ट के **अनुबंध–ख** पर संलग्न है।

19. शेयरधारकों के संबंध में सामान्य जानकारी

i. वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक आम बैठक

शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक निम्नलिखित दिन, दिनांक और समय पर वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य श्रव्य–दृश्य माध्यमों से आयोजित की जाएगीः–

दिन, दिनांक	समय
शुक्रवार, 24 सितंबर, 2021	11 बजे पूर्वाह्न

उक्त बैठक में भाग लेने से संबंधित विवरण और अन्य प्रासंगिक जानकारी कंपनी की 52वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है, में दिर्शायी गई है।

ii. वित्तीय वर्ष 2020–21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वित्तीय कैलेंडर

वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2020–21		वित्तीय वर्ष 2021–22	
लेखांकन अवधि	1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021		1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022	
वित्तीय परिणामों की घोषणा	पहली तिमाही	7 अगस्त, 2020	पहली तिमाही	तिमाही के अंत से 45 दिनों के भीतर घोषणा
	दूसरी तिमाही	6 नवंबर, 2020	दूसरी तिमाही	
	तीसरी तिमाही	4 फरवरी, 2021	तीसरी तिमाही	
	चौथी तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम	28 मई, 2021	चौथी तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम	वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 60 दिनों के भीतर घोषणा
वार्षिक आम बैठक	24 सितंबर, 2021		अगस्त/सितंबर, 2022	

iii. लाभांश

(क) लाभांश वितरण नीति

कंपनी ने सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 43क के अनुपालन में एक लाभांश वितरण नीति तैयार की है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ उन वित्तीय मानदड़ों सहित ऐसे बाहरी और आंतरिक कारकों को निर्दिष्ट किया गया है, जिन पर लाभांश की घोषणा करते समय विचार किया जाएगा और जिन परिस्थितियों में कंपनी के शेयरधारकों लाभांश की उम्मीद कर सकते है या नहीं कर सकते हैं। यह नीति https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Dividend_Distribution_Policy.pdf पर उपलब्ध है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए लाभांश

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 और समय–समय पर संशोधित कंपनी (लाभांश की घोषणा और भुगतान) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंतर्नियम 114 के अनुसरण में, जैसा कि समय–समय पर संशोधित किया गया है, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए दिनांक 3 दिसंबर 2020 को ₹6/– प्रति इक्विटी शेयर (₹10/– प्रत्येक के अंकित मूल्य पर) के अंतरिम लाभांश और दिनांक 30 मार्च, 2021 को ₹5/– प्रति इक्विटी शेयर (प्रत्येक ₹10/– के अंकित मूल्य पर) के दूसरे अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है। इसके अलावा, निदेशक मण्डल ने ₹1.71 प्रति ₹10/– वाले इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की भी सिफारिश की है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है। यदि इसे अनुमोदित कर दिया जाता है, तो वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कुल लाभांश ₹12.71 प्रति ₹10/– वाले इक्विटी शेयर के बराबर होगा, जो कंपनी के प्रदत्त शेयर पूंजी के 127.10% का प्रतिनिधित्व करता है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में भुगतान किये गए लाभांश अर्थात् वर्ष 2019–20 में प्रदत्त ₹11 प्रति ₹10/– वाले इक्विटी शेयर से 110₹ अधिक है।

कंपनी ने आगामी एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन, उपरोक्त अंतिम लाभांश के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए शुक्रवार, 17 सितंबर, 2021 को 'रिकॉर्ड तिथि' के रूप में निर्धारित किया है। यदि एजीएम में घोषित कर दिया जाता है, तो शेयरधारकों को गुरुवार, 21 अक्टूबर, 2021 को अंतिम लाभांश का भुगतान किया जाएगा।

(ग) पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लिए लाभांश विवरण

वित्तीय वर्ष	कुल संदत्त पूंजी (₹ करोड़ में)	भुगतान किए गए लाभांश की कुल राशि (₹ करोड़ में)	लाभांश की दर (%)	भुगतान की तिथि	
				अंतरिम लाभांश	अंतिम लाभांश
2015–16	987.46	1,688.55	171.00	25 फरवरी, 2016	4 अक्टूबर, 2016
2016–17	1,974.92	1,905.79	*96.50	6 मार्च, 2017	9 अक्टूबर, 2017
2017–18	1,974.92	1,807.05	91.50	27 फरवरी, 2018	15 अक्टूबर, 2018
2018–19	1,974.92	2,172.41	110.00	19 मार्च, 2019	–
2019–20	1,974.92	2,172.41	110.00	24 फरवरी, 2020	–

***नोटः** वित्तीय वर्ष 2016–17 से लाभांश का प्रतिशत समायोजन के बाद कंपनी द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष में 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने के कारण है।*

(घ) निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किए गए अदत्त/अदावाकृत लाभांश और इक्विटी शेयर

आईईपीएफ में अंतरित लाभांश राशि

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 124(5) के अनुसार, लाभांश राशि, जो सात वर्षों की अवधि के लिए अदत्त/अदावाकृत रही, को केंद्र सरकार के निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, निम्नलिखित राशियाँ आईईपीएफ में अंतरण के लिए देय हो गईं, इसके बाद 7 वर्षों की अवधि के लिए अदत्त/अदावाकृत रहीं। इन राशियों को निम्नानुसार जमा किया गया था:

वित्तीय वर्ष	अंतरिम/अंतिम लाभांश	राशि (₹)	अंतरण की तिथि
2012–13	अंतिम लाभांश	9,45,824	4 नवंबर, 2020
2013–14	अंतरिम लाभांश	2,459,893	24 अप्रैल, 2021
	कुल	**3,405,717**	

आईईपीएफ में अंतरित ऋण प्रतिभूतियों से संबंधित मूलधन/ब्याज

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, मूलधन के कारण ₹2,36,39,166/– और कंपनी की ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में ब्याज के कारण ₹16,53,457/– की राशि को भी आईईपीएफ को अंतरित किया गया।

आईईपीएफ में अंतरित इक्विटी शेयर

आईईपीएफ प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और धनवापसी) नियम, 2016 {आईईपीएफ नियम} के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे सभी शेयरों, जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों के लिए लाभांश का दावा नहीं किया गया, को कंपनी द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित करना अपेक्षित है। तदनुसार, कंपनी ने नवंबर, 2020 में ₹10/– वाले 7,403 इक्विटी शेयरों को आईईपीएफ को अंतरित किया है। दिनांक 31 मार्च, 2021 तक, आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में रखे गए इक्विटी शेयरों की संख्या 1,16,567 थी। इसके बाद, सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, अप्रैल, 2021 में ₹10/– वाले 3,057 इक्विटी शेयरों को भी आईईपीएफ में अंतरित कर दिया गया।

जिन सदस्यों का उपरोक्त लाभांश और/या शेयरों पर दावा है, वे वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र संख्या आईईपीएफ–5 में एक ऑनलाइन आवेदन जमा करके और फॉर्म, चालान, क्षतिपूर्ति बांड और आईईपीएफ –5 में सूचीबद्ध अन्य सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित भौतिक प्रति "आईईपीएफ प्राधिकरण से वापसी के लिए दावा" के रूप में चिह्नित एक लिफाफे में रखकर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को भेजते हुए, आईईपीएफ प्राधिकरण से इनका दावा कर सकते हैं। सभी पहलुओं में पूर्ण दावा प्रपत्रों का सत्यापन किया जाएगा और कंपनी की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर, आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा दावेदारों के आधार से जुड़े बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के माध्यम से धन वापसी (रिफंड) जारी की जाएगी। आईईपीएफ प्राधिकरण को इस प्रकार अंतरित लाभांश/शेयरों के संबंध में कोई दावा देय कंपनी की ओर से नहीं होगा।

नोडल अधिकारी

आईईपीएफ नियमों के नियम 7(2क) के अनुसार, निम्नलिखित व्यक्ति कंपनी के नोडल अधिकारी हैं:

नोडल अधिकारी	**श्री जे. एस. अमिताभ** कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव
इक्विटी शेयरों के लिए उप नोडल अधिकारी	**श्री एम. एल. कुमावत** वरिष्ठ महाप्रबंधक (वित्त) – सीएस
डिबेंचर/बांड के लिए उप नोडल अधिकारी	**श्री दलजीत सिंह खत्री** मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

कंपनी समय–समय पर शेयरधारकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अदत्त/अदावाकृत लाभांश के अपने दावों को प्रस्तुत करने के लिए समाचार पत्रों में नोटिस जारी करती रही है। सभी शेयरधारकों को लाभांश से संबंधित अपने वारंट तत्काल भुनाने या पुराने वारंटों के पुनर्मान्यकरण कराने या उनके बदले नए डिमांड ड्राफ्ट जारी कराने के लिए कंपनी के आरएंडटीए को आवेदन करने की एकबार पुनः सलाह दी जाती है।

कंपनी ने नाम, पता, आईईपीएफ को अंतरित की जाने वाली राशि और आईईपीएफ को राशि के अंतरण की देय तारीख जैसी जानकारी के साथ कंपनी के शेयरधारकों/बॉन्डधारकों से संबंधित अदावाकृत/अदत्त राशियों का विवरण अपनी वेबसाइट www.recindia.nic.in पर अपलोड किया है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा पहले ही आईईपीएफ को अंतरित की जा चुकी राशियों और शेयरों का निवेशक–वार विवरण आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर भी उपलब्ध है।

iv. इक्विटी शेयरों का सूचीकरण

आरईसी के इक्विटी शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

स्टॉक एक्सचेंज का नाम और पता	टेलीफोन/ईमेल आईडी/वेबसाइट	स्क्रिप कोड
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) एक्सचेंज प्लाजा, सी–1, ब्लॉक जी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई–400 051	टेलीफोन: +91–22–2659 8100/8114 फैक्स: +91–22–2659 8120 ई–मेल आईडी: cmlist@nse.co.in वेबसाइट: www.nseindia.com	RECLTD
बीएसई लिमिटेड (बीएसई) फिरोज जीजीभॉय टावर्स दलाल पथ मुंबई– 400 001	टेलीफोन: +91–22–22721233/4 फैक्स: +91–22–2272 1919 ई–मेल आईडी: corp.comm@bseindia.com वेबसाइट: www.bseindia.com	532955

इसके अलावा, कंपनी की विभिन्न ऋण प्रतिभूतियां भी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं, जिनका विवरण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध–VIII में दिया गया है।

v. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन)

आरईसी के इक्विटी शेयरों का आईएसआईएन INE020B01018 है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा जारी विभिन्न ऋण प्रतिभूतियों के आईएसआईएन का विवरण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध–VIII के रूप में दिया गया है।

vi. पंजीयक और अंतरण अभिकर्ता (आरएंडटीए)

इक्विटी शेयर के लिए आरएंडटीए	पता	केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31 और 32 गाचीबॉवली, वित्तीय जिला नानकरामगुडा हैदराबाद–500 032, भारत	
	फोन	1–1800–309–4001 (टोल–फ्री)	
	ईमेल	einward.ris@kfintech.com, balaji.reddy@kfintech.com, raju.sv@kfintech.com	
	वेबसाइट	www.kfintech.com	
सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के लिए आरएंडटीए	पता	**केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड** सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31 और 32 गाचीबॉवली, वित्तीय जिला नानकरामगुडा हैदराबाद–500 032, भारत	**बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड** बीटल हाउस, तीसरा तल 99 मदनगीर, स्थानीय शॉपिंग सेंटर के पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के पास नई दिल्ली–110062, भारत
	फोन	1-800-309-4001	+91-11-2996 1281-83
	ईमेल	einward.ris@kfintech.com, gopalakrishna.kvs@kfintech.com, investorcell@recl.in	recbonds2@gmail.com, beetalrta@gmail.com, investorcell@recl.in
	वेबसाइट	www.kfintech.com	www.beetalfinancial.com

vii. वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए बाजार मूल्य डाटा

एनएसई निफ्टी की तुलना में आरईसी के शेयर का मासिक प्रदर्शन

माह	एनएसई में आरईसी शेयर का मासिक प्रदर्शन			एनएसई निफ्टी का संचलन		
	उच्च (₹)	कम (₹)	माह के अंत में (₹)	उच्च	कम	माह के अंत में
अप्रैल' 2020	99.00	84.50	95.55	9,889.05	8,055.80	9,859.90
मई' 2020	104.80	83.65	88.55	9,598.85	8,806.75	9,580.30
जून' 2020	117.40	89.80	108.10	10,553.15	9,544.35	10,302.10
जुलाई' 2020	112.40	98.50	100.15	11341.40	10299.60	11,073.45
अगस्त' 2020	116.50	99.35	106.15	11,794.25	10,882.25	11,387.50
सितम्बर' 2020	113.90	95.00	99.10	11,618.10	10,790.20	11,247.55
अक्टूबर' 2020	105.45	91.80	102.85	12025.45	11,347.05	11,642.40
नवंबर' 2020	123.60	102.20	121.45	13,145.85	11,557.40	12,968.95
दिसंबर' 2020	143.50	119.00	133.90	14,024.85	12,962.80	13,981.75
जनवरी' 2021	148.40	131.25	132.50	14,753.55	13,596.75	13,634.60
फरवरी' 2021	157.00	131.30	135.50	15,431.75	13,661.75	14,529.15
मार्च' 2021	155.45	127.80	131.15	15,336.30	14,264.40	14,690.70

एनएसई निफ्टी की तुलना में आरईसी के शेयर का मासिक प्रदर्शन

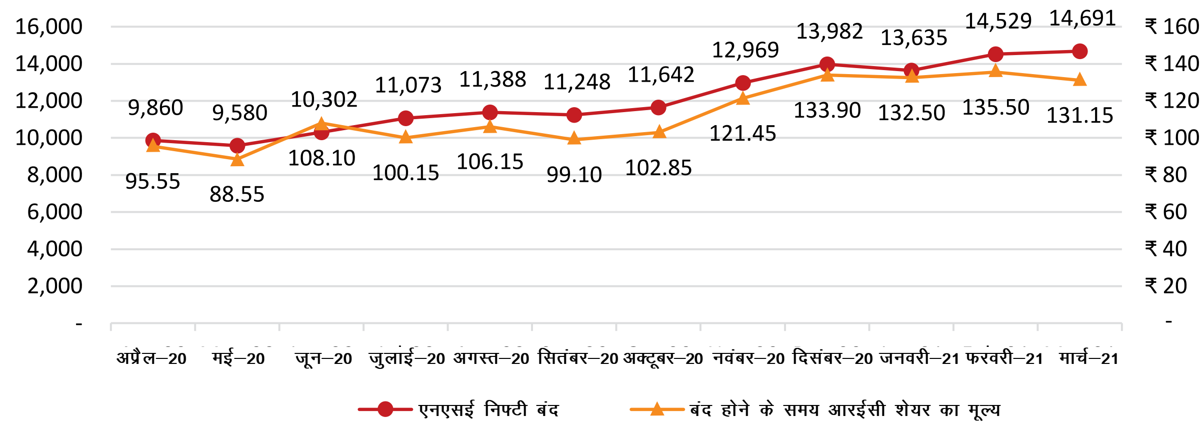

बीएसई सेंसेक्स की तुलना में आरईसी के शेयर का मासिक प्रदर्शन

माह	बीएसई में आरईसी शेयर का मासिक प्रदर्शन			बीएसई सेंसेक्स का संचलन		
	उच्च (₹)	कम (₹)	माह के अंत में (₹)	उच्च	कम	माह के अंत में
अप्रैल' 2020	98.90	84.60	95.65	33,887.25	27,500.79	33,717.62
मई' 2020	104.70	83.70	88.50	32,845.48	29,968.45	32,424.10
जून' 2020	118.00	89.70	108.15	35,706.55	32,348.10	34,915.80
जुलाई' 2020	112.40	98.70	100.20	38,617.03	34,927.20	37,606.89
अगस्त' 2020	116.50	97.85	106.20	40,010.17	36,911.23	38,628.29
सितम्बर' 2020	113.80	95.05	99.20	39,359.51	36,495.98	38,067.93
अक्टूबर' 2020	105.45	91.90	102.85	41,048.05	38,410.20	39,614.07
नवंबर' 2020	123.50	102.20	120.75	44,825.37	39,334.92	44,149.72
दिसंबर' 2020	143.50	119.05	133.80	47,896.97	44,118.10	47,751.33
जनवरी' 2021	148.20	131.25	132.55	50,184.01	46,160.46	46,285.77
फरवरी' 2021	156.85	131.65	135.50	52,516.76	46,433.65	49,099.99
मार्च' 2021	155.35	127.90	131.25	51,821.84	48,236.35	49,509.15

बीएसई संसेक्स की तुलना में आरईसी के शेयर का मासिक प्रदर्शन

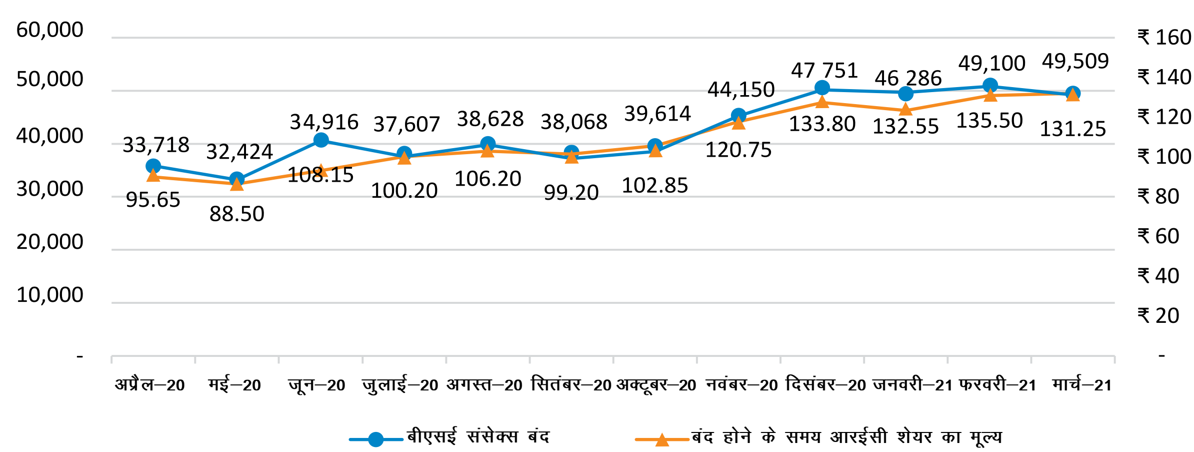

viii. शेयर अंतरण प्रणाली

सेबी ने दिनांक 3 दिसंबर, 2018 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से निर्धारित किया है कि दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से, प्रतिभूतियों के अंतरण (ट्रांसमिशन या ट्रांसपोजिशन मामलों को छोड़कर) को प्रभावित करने के अनुरोधों पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि प्रतिभूतियों को किसी निक्षेपागार में डिमेटेरियलाइज्ड रूप में नहीं रखा जाता है। तद्नुसार, सभी शेयरधारकों से किसी भी निक्षेपागार भागीदार के साथ खोले जाने वाले मौजूदा डीमैट खाते या नए डीमैट खाते में अपनी शेयरधारिता को भौतिक रूप से डीमैट रूप में यथाशीघ्र परिवर्तित करने का अनुरोध किया जाता है।

प्रत्येक मामले में प्रति व्यक्ति 500 इक्विटी शेयरों तक भौतिक खंड के तहत पारेषण, पुनर्व्यवस्थापन, विखंडन और समेकन के अनुरोधों को केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, अर्थात् कंपनी के आर एंड टीए द्वारा संसाधित किया जाता है। भौतिक खंड के तहत प्रत्येक मामले में प्रति व्यक्ति 500 से अधिक इक्विटी शेयरों के पारेषण, पुनर्व्यवस्थापन, विखंडन और समेकन के लिए और डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की एक शेयर अंतरण समिति का गठन किया गया है।

सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 40(9) और (10) के अनुसार, कंपनी द्वारा शेयर अंतरण औपचारिकताओं के उचित अनुपालन की पुष्टि करने वाला कंपनी सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र अर्ध–वार्षिक आधार पर निर्धारित समय के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया गया हैं। इसके अलावा, यह भी पुष्टि की जाती है कि शेयरों के सभी अंतरण निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरे किए गए थे।

ix. शेयरधारिता का पैटर्न/शेयरधारिता का वितरण

(क) स्वामित्व के आधार पर शेयरधारिता पैटर्न

शेयरधारक की श्रेणी	31 मार्च 2021 तक		31 मार्च, 2020 तक	
	इक्विटी शेयरों की संख्या	कुल इक्विटी शेयरों का प्रतिशत	इक्विटी शेयरों की संख्या	कुल इक्विटी शेयरों का प्रतिशत
प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप	1,03,94,95,247	52.63	1,03,94,95,247	52.63
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक और विदेशी संस्थागत निवेशक	52,83,00,945	26.75	53,30,40,782	26.99
म्यूचुअल फंड्स	17,90,43,306	9.07	17,42,48,844	8.82
निवासी व्यक्ति	11,67,78,937	5.91	11,15,58,942	5.65
बीमा कंपनियां	5,88,95,240	2.98	5,86,90,900	2.97
निकाय कॉर्पोरेट्स	1,13,61,284	0.58	1,88,95,069	0.96
समाशोधन सदस्य	25,75,891	0.13	29,38,620	0.15
बैंक	45,87,838	0.23	43,01,384	0.22
एचयूएफ	69,41,329	0.35	60,19,507	0.30
न्यास	9,49,715	0.05	27,26,714	0.14
अप्रवासी भारतीय	31,12,828	0.16	31,28,400	0.16
भारतीय वित्तीय संस्थान/क्यूआईबी	2,04,85,544	1.04	1,62,00,637	0.82
अप्रवासी भारतीय–अप्रत्यावर्तनीय	18,01,188	0.09	14,91,158	0.08
कर्मचारी	4,27,797	0.02	9,02,884	0.05
अन्य – आईईपीएफ और एआईएफ	1,52,567	0.01	12,76,567	0.06
एनबीएफसी	8,344	नगण्य	2,345	नगण्य
कुल	**1,97,49,18,000**	**100%**	**1,97,49,18,000**	**100%**

दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार आरईसी का शेयरधारिता पैटर्न

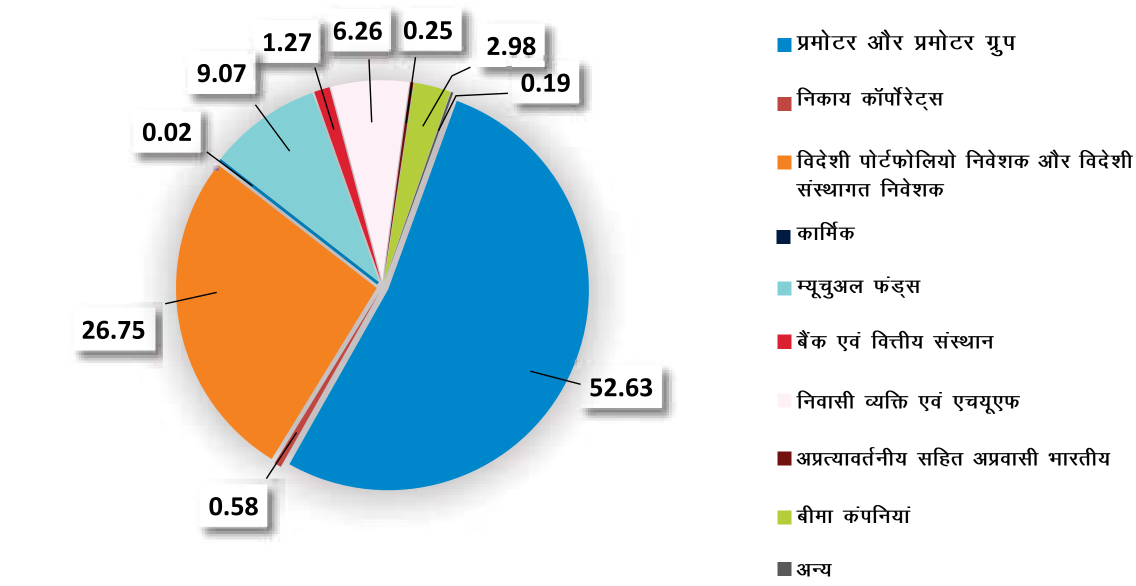

(ख) दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का विभाजन

शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का प्रतिशत	धारित कुल शेयर	शेयरधारिता का प्रतिशत
1–5000	3,15,312	88.84	4,15,10,143	2.10
5001 –10000	21,025	5.92	1,66,35,182	0.84
10001–20000	9,931	2.80	1,48,30,732	0.75
20001–30000	2,920	0.82	74,82,305	0.38
30001–40000	1,315	0.37	47,34,492	0.24
40001–50000	955	0.27	45,04,293	0.23
50001–100000	1,732	0.49	1,24,55,607	0.63
100001 और उससे ऊपर	1,750	0.49	1,87,27,65,246	94.83
कुल	**3,54,940**	**100.00**	**1,97,49,18,000**	**100.00**

x. शेयरों और चलनिधि का डिमैटेरियलाइजेशन

कंपनी के शेयर अनिवार्य डीमैटरियलाइज्ड खंड के अधीन हैं और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) दोनों की प्रणाली के अंतर्गत ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं। निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) के पत्राचार विवरण निम्नानुसार हैं:

डिपॉजिटरी का नाम और पता	टेलीफोन / ईमेल आईडी / वेबसाइट
नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ट्रेड वर्ल्ड, चौथा तल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई – 400013	टेलीफोन: +91-22-2499 4200 टोल फ्री नंबर: 1-800 222 990 ई–मेल आईडी: relations@nsdl.co.in, info@nsdl.co.in Website: www.nsdl.co.in
सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड मैराथन फ्यूचरएक्स, ए–विंग, 25वां तल, एनएम जोशी मार्ग लोअर परेल, मुंबई – 400013	टेलीफोन:+91-22-2305 8640/24/39/42/63 टोल फ्री नंबर: 1-800-225-533 ई–मेल आईडी: helpdesk@cdslindia.com, complaints@cdslindia.com वेबसाइट www.cdslindia.com

दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, डीमैटीरियलाइज्ड और भौतिक रूप में धारित शेयरों की संख्या का विवरण निम्नानुसार था:

श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	धारित शेयरों की संख्या	जारी किए गए कुल शेयरों का प्रतिशत
शारीरिक	13,462	28,343	नगण्य
एनएसडीएल (डीमैट)	1,89,982	1,92,20,90,907	97.33
सीडीएसएल (डीमैट)	1,51,496	5,27,98,750	2.67
कुल	**3,54,940**	**1,97,49,18,000**	**100.00**

xi. शेयरपूंजी लेखा रिपोर्ट का मिलान

वित्तीय वर्ष 2020–21 की प्रत्येक तिमाही के लिए, मैसर्स सविता ज्योति एसोसिएट्स, कार्यशील कंपनी सेक्रेटरी, सिकंदराबाद, ने कंपनी की एनएसडीएल और सीडीएसएल में कुल स्वीकृत, जारी और सूचीबद्ध शेयर पूंजी के समाधान के लिए लेखापरीक्षा करने के बाद, शेयर पूंजी लेखापरीक्षा का मिलान किया था, जिसे कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत किया गया था। रिपोर्टों में पुष्टि की गई कि कुल जारी / प्रदत्त शेयर पूंजी, भौतिक रूप में शेयरों की कुल संख्या तथा एनएसडीएल एवं सीडीएसएल के पास रखे गए डीमैटरियलाइज्ड शेयरों की कुल संख्या के अनुरूप है।

xii. डीमैट सस्पेंस खाते का विवरण

कंपनी ने फरवरी, 2008 में 15,61,20,000 इक्विटी शेयरों की एक आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) की, जिसमें कंपनी द्वारा 7,80,60,000 रुपये के प्रत्येक ₹10/– वाले इक्विटी शेयरों का नया निर्गम और भारत के राष्ट्रपति द्वारा इक्विटी शेयरों की एक और समान संख्या की बिक्री के लिए एक प्रस्ताव शामिल था। इसके अलावा, कंपनी ने फरवरी, 2010 में 17,17,32,000 इक्विटी शेयरों की अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश (एफपीओ) की, जिसमें कंपनी द्वारा 12,87,99,000 इक्विटी शेयरों का नया निर्गम और भारत के राष्ट्रपति द्वारा 4,29,33,000 इक्विटी शेयर की बिक्री का प्रस्ताव शामिल था।

सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 34(3) और अनुसूची V के भाग च की अपेक्षाओं के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2021 को डीमैट सस्पेंस खाते में कंपनी के इक्विटी शेयरों का विवरण निम्नानुसार था:

क्रम सं.	विवरण	1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021	
		मामलों की संख्या	शामिल शेयरों की संख्या
1	1 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारकों और सस्पेंस खाते में बकाया अदावाकृत शेयरों की संख्या।	36	5,478
2	वित्तीय वर्ष के दौरान सस्पेंस खाते से अदावाकृत शेयरों के अंतरण के लिए कंपनी से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या।	शून्य	शून्य
3	वित्तीय वर्ष के दौरान उन शेयरधारकों की संख्या जिन्हें सस्पेंस खाते से अदावाकृत शेयर अंतरित किए गए थे।	4	490
4	दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों और सस्पेंस खाते में बकाया अदावाकृत शेयरों की कुल संख्या	32	4,988

टिप्पणियाँ:

1. 31 मार्च, 2021 को सस्पेंस खाते में बकाया शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरूद्ध रहेंगे, जब तक ऐसे शेयरों के असली स्वामी शेयरों का दावा नहीं करते।
2. उपरोक्त सभी मामले आईपीओ से संबंधित हैं; एफपीओ से संबंधित अदावाकृत शेयरों का कोई मामला नहीं है।

xiii. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तनीय तिथियां और इक्विटी पर संभावित प्रभाव

कंपनी द्वारा कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किया गया है।

xiv. स्टॉक एक्सचेंजों को वार्षिक सूचीकरण शुल्क

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को अपनी सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के संबंध में वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया है।

xv. निक्षेपागारों (डिपॉजिटरी) को वार्षिक अभिरक्षा शुल्क

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड को वार्षिक अभिरक्षा शुल्क का भुगतान कर दिया है।

xvi. प्लांट स्थल

कंपनी एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है और इसका कोई प्लांट स्थल नहीं है।

तथापि, नई दिल्ली में पंजीकृत कार्यालय और गुरुग्राम, हरियाणा में कॉर्पोरेट कार्यालय के अलावा, कंपनी के देश भर में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय तथा राज्य कार्यालय और हैदराबाद में एक प्रशिक्षण संस्थान नामतः आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी) है, जिनका विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट के अंत में दिया गया है।

xvii. कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)

कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) L40101DL1969GOI005095 है।

xviii. पत्रव्यवहार हेतु पता

कंपनी के साथ पत्राचार के लिए पते और संपर्क विवरण हैं:

पंजीकृत कार्यालय

आरईसी लिमिटेड
कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003, भारत
दूरभाषः +91–11–4309 1500/1501, फैक्सः +91–11–2436 0644
ईमेलः contactus@recl.in

कॉर्पोरेट कार्यालय

आरईसी लिमिटेड
प्लॉट नंबर आई–4, सेक्टर 29, इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन के पास, गुरुग्राम, हरियाणा –122001, भारत
दूरभाषः +91–124–444 1300
ईमेलः contactus@recl.in

xix. कॉर्पोरेट वेबसाइट

कंपनी की कॉर्पोरेट वेबसाइट www.recindia.nic.in है।

xx. अनुपालन अधिकारी और लोक प्रवक्ता

कंपनी के अनुपालन अधिकारी और लोक प्रवक्ता का नाम और संपर्क विवरण निम्नानुसार हैं:

श्री जे. एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव
दूरभाषः +91–124–444 1300
ई–मेलः complianceofficer@recl.in, jsamitabh@recl.in

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

संजय मल्होत्रा
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 00992744

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 5 अगस्त, 2021

अनुबंध–क

निदेशकों को अयोग्य न ठहराने का प्रमाण–पत्र

[सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची–V के पैरा – ग के खंड (10) (i) के अनुसरण में]

सेवा में,
सदस्यगण,
आरईसी लिमिटेड,
कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7, लोधी रोड,
नई दिल्ली–110003

हमने कंपनी द्वारा अनुरक्षित की जा रही संगत पंजियों, अभिलेखों, प्रपत्रों, विवरणियां और **आरईसी लिमिटेड** जिसका **सीआईएनः L40101DL1969GOI005095** है और जिसका पंजीकृत कार्यालय कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 (जिसे आगे 'कंपनी' कहा गया है) है के निदेशकों से प्राप्त प्रकटीकरणों, जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 की अनुसूची–V के पैरा–ग उप खंड 10 (i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार इस प्रमाण–पत्र को जारी करने के लिए कंपनी द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई है, की जांच की है।

हमारे विचार से, हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा सत्यापनों [www.mca.gov.in पोर्टल पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित] के अनुसार जिसे आवश्यक माना गया है और कंपनी एवं इसके अधिकारियों द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरणों के संबंध में, हम एतदद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है, 31 मार्च, 2021 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय अथवा इस प्रकार के किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशकों के रुप में नियुक्त किए जाने अथवा उनके जारी रहने से वंचित नहीं किया गया है अथवा अयोग्य नहीं ठहराया गया है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पहचान सं. (डीआईएन)	नियुक्त होने की तिथि
1.	श्री संजय मल्होत्रा	00992744	09 नवंबर, 2020
2.	श्री संजीव कुमार गुप्ता	03464342	16 अक्टूबर, 2015
3.	श्री अजय चौधरी	06629871	01 जून, 2020
4.	श्री तन्मय कुमार	02574098	05 नवंबर, 2020
5.	श्री प्रवीण कुमार सिंह	03548218	18 जून, 2019

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी अपने सत्यापन पर आधारित उसके संबंध में मत प्रकट करना है। यह प्रमाण–पत्र कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में न तो आश्वासन है और न ही उस कार्यक्षमता अथवा प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को किया है।

कृते हेमंत सिंह एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हेमंत कुमार सिंह
(भागीदार)
सदस्यता संख्याः एफ6033
सीपी संख्याः 6370
यूडीआईएनः एफ006033सी000486854

दिनांक : 19 जून, 2021
स्थान : नई दिल्ली

आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

अनुबंध–ख

प्रमाण–पत्र

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 17(8) के तहत

27 मई, 2021

यह प्रमाणित किया जाता है किः

क. हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसारः

i. इन विवरणों में भौतिक रूप से असत्य कोई विवरण निहित नहीं है अथवा किसी वास्तविक कारक को छोड़ा नहीं गया है अथवा ऐसा कोई विवरण निहित नहीं है, जो कि भ्रामक हो; और

ii. ये विवरण कंपनी के कार्यों का एक सच्चा और पारदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और ये वर्तमान लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों की अनुपालना करते हैं।

ख. हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास से, कंपनी ने वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेन–देन नहीं किया है, जो कि कपटपूर्ण हो, गैर–कानूनी अथवा कंपनी की आचरण संहिता का उल्लंघन करते हों।

ग. हम वित्तीय संसूचना के लिए आंतरिक नियंत्रणों की स्थापना करने और उन्हें बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, और यह कि वित्तीय संसूचना के संबंध में कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति के ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन अथवा प्रचालन में कमियों, यदि कोई हों, को प्रकट किया है, जिनके बारे में हम जानते हैं और हमने इन कमियों को ठीक करने के लिए उठाए गए कदमों अथवा प्रस्तावित कदमों को भी प्रकट किया है।

घ. हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को इस बात का उल्लेख किया हैः

i. वर्ष के दौरान वित्तीय संसूचना पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन;

ii. वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और यह कि उन्हें वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया है; और

iii. ऐसी महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले, जिनकी हमें जानकारी है और प्रबंधन अथवा किसी ऐसे कर्मचारी की उसमें भागीदारी, यदि कोई हो, जिसकी कंपनी की वित्तीय संसूचना पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका है, उसकी जानकारी है।

ह./–	ह./–
(अजय चौधरी)	**(संजय मल्होत्रा)**
निदेशक (वित्त)	**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
डीआईएनः 06629871	**डीआईएनः 0992744**